रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062023-246417
CG-DL-E-09062023-246417

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 2023/ज्येष्ठ 18, 1945
No. 139] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 2023/JYAISHTHA 18, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2023

अंतिम जांच परिणाम

मामला सं. एडी (एसएसआर) - 11/2022

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "फिशिंग नेट" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के संबंध में पाटनरोधी जांच।

फा. सं. 7/22/2022- डीजीटीआर .—समय-समय पर यथा-संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में कहा गया है) और तत्संबंधी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटानरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए -

निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इन्हें "प्राधिकारी" के रूप में कहा गया है) को इंडियन फिशनेट मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन (इसके बाद इसे 'आवेदक एसोसिएशन' के रूप में कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें चीन जन. गण. (इसके बाद इसे 'संबद्ध देश' के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित फिशिंग नेट (इसके बाद इसे 'संबद्ध वस्तुएं' अथवा 'विचाराधीन उत्पाद' अथवा 'पीयूसी' के रूप में भी कहा गया है) के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के विस्तार के लिए एक निर्णायक समीक्षा शुरु करने की मांग की गई है।

क. **मामले की पृष्ठभूमि**

मूल जांच

1. प्राधिकारी द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2017 की अधिसूचना सं. 14/44/2016- डीजीएडी के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी और दिनांक 10 अप्रैल, 2018 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 20/2018- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत इस शुल्क को लगाया गया था। वर्तमान समीक्षा का समापन होने तक चीन जन. गण. पर पाटनरोधी शुल्क को दिनांक 06 जनवरी, 2023 को सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 01/2023- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। इसके अलावा, चीन जन. गण. पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को दिनांक 06 अप्रैल, 2023 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 03/2023- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत 2 महीने का अतिरिक्त विस्तार प्रदान किया गया था और उक्त शुल्क दिनांक 09 सितंबर, 2023 को समाप्त होने वाले हैं। वर्तमान समीक्षा के दायरे में दिनांक 05 मार्च, 2018 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना सं. 14/44/2016- डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच

2. मैसर्स इंडियन फिशनेट मैन्युफैक्चर्रस एसोसिएशन (आईएफएमए) (इसके बाद इसे "आवेदक" अथवा "आवेदक एसोसिएशन" के रूप में कहा गया है) ने चीन जन. गण. और बंगलादेश के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "फिशिंग नेट" के आयातें पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों का विस्तार करने के लिए नियमावली के नियम 23 के साथ पठित, अधिनियम की धारा 9क (5) के तहत घरेलू उद्योग की ओर से प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत प्रमाणित आवेदन दायर किया। प्राधिकारी ने, तथ्यों की प्रथम दृष्टया जांच के बाद, चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए दिनांक 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना सं. 7/22/2022- डीजीटीआर के तहत एक निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) जांच शुरु की। बंगलादेश के संबंध में, प्राधिकारी ने उपरोक्त जांच शुरुआत अधिसूचना में यह नोट किया कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, क्षति अवधि के दौरान बंगलादेश से न तो फिशिंग नेट का कोई निर्यात दर्शाया गया और न ही यह दर्शाने के लिए कोई पर्याप्त साक्ष्य था कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त किया जाता है तो पाटन होने की संभावना है। अत: प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश के रूप में केवल चीन जन. गण पर ही विचार किया है।

प्रवंचनारोधी जांच

3. आईएफएमए ने भी मलेशिया के माध्यम से चीन के मूल की संबद्ध वस्तुओं के कथित आयातों के खिलाफ एक विधिवत प्रमाणित आवेदन दायर किया है। इसके अनुसरण में, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 21 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. 7/01/2023- डीजीटीआर के तहत चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "फिशिंग नेट" के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की मलेशिया के माध्यम से कथित प्रवंचना होने के संबंध में एक प्रवंचनारोधी जांच शुरु की। प्राधिकारी ने विस्तृत जांच करने के बाद, यह निष्कर्ष दिया कि मलेशिया से आयात किए गए फिशिंग नेट से चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं पर लगाए गए उपायों की प्रवंचना हो रही है। इस प्रकार से, प्राधिकारी ने दिनांक 7 जून, 2023 की अधिसूचना सं. 7/01/2023- डीजीटीआर के तहत मलेशिया से फिशिंग नेट के आयातों के लिए चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क का विस्तार करने की सिफारिश की।

ख. प्रक्रिया

4. जांच के संबद्ध में नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाई गई है :

क. प्राधिकारी ने दिनांक 30 सितंबर, 2022 की अधिसूचना सं. 7/22/2022- डीजीटीआर के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के खिलाफ पाटनरोधी जांच की एक निर्णायक समीक्षा शुरु करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की।

ख. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध देश के दूतावास, ज्ञात उत्पादकों, और संबद्ध देश से निर्यातकों, ज्ञात आयातकों और भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्रयोक्ता एसोसिएशनों को, आवेदक एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, सार्वजनिक सूचना की एक प्रेति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को संगत सूचना प्रदान करने और पत्र के जारी होने की तारीख से निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का परामर्श दिया।

ग. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुवसार, ज्ञात निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास को को आवेदक द्वारा दायर किए गए आवेदन के अगोपनीय अंश की एक प्रति प्रदान की।

घ. भारत में संबद्ध देश के दूतावास को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए उनके देश के उत्पादकों/ निर्यातकों को परामर्श देने का अनुरोध किया गया था। उत्पादकों/ निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देश से ज्ञात उत्पादकतों/ निर्यातकों के नाम और पतों के साथ उन्हें भेजी गई थी।

ड. प्राधिकारी ने संगत सूचना प्रकट करने के लिए नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी :-

1	चाओहु एसियानेप्स फिशिंग नेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	2	अनहुई लेइजियांग फिशिंग गियर कंपनी लिमिटेड
3	ताइझोऊ विनस्ट्रोंग स्पेशनल नेट कं. लिमिटेड	4	अनहुई हेझोंग फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड
5	हेइरेक इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	6	चाओहु गाओलिन कार्टन प्लांट
7	वेइहई डीएंडएम कंपनी लिमिटेड	8	युटियान गोल्डनेट्स फिशरी गुड्स कंपनी लिमिटेड
9	कुआनझोऊ लिचेंग लोंगशेंग प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड	10	क्यूइंगडाओ मानशेंग इंडस्ट्री एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड
11	ताइयानफेंगली प्लास्टिक्स कंपनी लि.	12	डोंगशान यिंगहुई फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड
13	फंटासिया मरीन कंपनी लिमिटेड	14	वेइहई डाफंग फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड
15	शंघाई योंग चेंग स्केल कंपनी लिमिटेड	16	योंगकांग हेटोन इंडस्ट्री एंड ट्रेड कंपनी लिमिटेड
17	शंघाई सेलफिश रोप नेट कंपनी लिमिटेड	18	जियांग्सु पोली फिशिंग प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
19	ताइयान डबल फिश प्लास्टिक्स कंपनी	20	वाईएंडएक्स विनर मेरीटाइप इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड
21	नेविन इंडस्ट्री लिमिटेड	22	हुनान जिनहई नेट इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
23	चांगझोऊ वुजिन योंगगुआंग मशीनरी कंपनी लिमिटेड	24	रिझाओ हुइफेंग नेट कंपनी लिमिटेड
25	नानटंग शेनलोंग फाइबर रोप कंपनी लिमिटेड	26	चाओहु विक्ट्री यूनियन फिशिंग गियर कंपनी लिमिटेड
27	चांगजिंग जियानयुन बम्बू आर्ट फैक्टरी	28	चाओहुहुआतई फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड

29	अऊजासेन डाइव मैन्युफ.	30	फुजियान चांगल होंगमेई नेट टूल कंपनी लिमिटेड
31	लाइझोऊलुटोंग प्लास्टिक्स कंपनी लिमिटेड	32	चाओहु लोटस फिशिंग नेट कंपनी लिमिटेड
33	डोंगगुआन सनमेई प्लास्टिक रॉ मैटिरियल कंपनी लिमिटेड	34	गुआन होंघई फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड
35	रोंगचेंग बेस्टबैंड इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	36	हेबेईजियाजेनेट फैनुफैक्चरर
37	ताइयान प्रेटी लॉयन लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	38	अनहुई विंटा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
39	जियांग्सु हुआयुआन न्यू मैटिरियल, कंपनी लिमिटेड	40	वुचुआन ताइफेंग ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
41	पिंगजियांग टाइगर इंडस्ट्रियल सेरामिक्स कंपनी लिमिटेड	42	क्लेमोर मशीनरीज एंड टूल्स लिमिटेड
43	पोली मरीन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	44	झु वुयोंग
45	वुहु एस.एच.जेड इंडस्ट्रियल फैबिक कंपनी लिमिटेड	46	वुक्सी ताइयु नेट एंड ट्विन मैन्युकंपनी . लिमिटेड
47	फुयांग चेनयि आर्ट्स एंड क्राफ्टस कंपनी लिमिटेड	48	अनहुई सन नेटिंग टैकल कंपनी लिमिटेड
49	यूनिलैंड स्पोर्टिंग वेयर मैन्यु. लिमिटेड	50	विनटेक ग्रुप कंपनी लिमिटेड
51	यांगझोऊ जिनयु टेक्सटाइल इक्यूपमेंट कंपनी लिमिटेड	52	वेइहई हाइहे हइहे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
53	चांगझोऊ आयोयुआन टेक्सटाइल मशीनरी कंपनी लिमिटेड	54	निंगबो शुनयु नेट्स मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड
55	जियांग्सु जियांगहई मशीनरी कंपनी लिमिटेड	56	नानटोंग आओली नेटिंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड
57	चांगझोऊ सिटी चांग हुई इक्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड	58	चांगझोई जिनझि प्लास्टिक नेट सप्लाईज कंपनी लिमिटेड
59	आदित्य ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	60	रेन यि फिशिंग कंपनी लिमिटेड
61	शानटोऊ किले सिल्क स्क्रीन इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	62	शानटोऊ सानये फिशिंग यूटेनसिल्स फैक्टरी
63	ब्रॉदर स्पोर्ट्स कंपनी लिमिटेड	64	वेईहाई यिझांग मेटल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
65	झांगजियागंग हैतिया नेटिंग इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड	66	शान काउंटी तियांडा प्लास्टिक नेट कंपनी लिमिटेड
67	हांगझोऊ हानजियांग होम टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	68	शानटोऊ जियांगफा फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड
69	एसएसएस हार्डवेयर इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	70	चांगझोऊ वुजिनजिनहुई नेटिंग फैक्टरी
71	निंगबो वाइटेक स्पोर्टिंग गुड्स कंपनी लिमिटेड	72	चाओहुहुईफेंग फिशिंग कंपनी लिमिटेड
73	क्यूडोंग जुआन शांग इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी लिमिटेड	74	झानजियांग डवलपिंग जोन यांगफन मेश इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
75	इननोमैक्स लिमिटेड	76	शानटोऊ किले सिल्क स्क्रीन कंपनी लिमिटेड
77	झांगजियांग विक्टर टेक्सटाइल मशीनरी कंपनी लिमिटेड	78	निंगबो मेइके लेइसर प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
79	वेइहाई स्विफ्ट याच्ट कंपनी लिमिटेड	80	नानटोंग न्यूटेक टेक्सटाइल एंड केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड

81	हांगझोऊ जिनहुई निटिंग कंपनी लिमिटेड	82	फुलरी फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड
83	हांगझोऊ क्विनघोन रबड़ एवं प्लास्टिक फुटवियर कंपनी लिमिटेड	84	फुलरी फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड
85	फुझोऊ हाइबर ट्रेड कंपनी लिमिटेड	86	डालियान न्यू सिटी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
87	चांगझोऊ चेनवेई मशीनरी कंपनी लिमिटेड	88	हाइआन हुवेई नेट कंपनी लिमिटेड
89	तियानचांग फुशी सेफ्टी प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड	90	चाओहु शेनलोंग फिशिंग गियर कंपनी लिमिटेड
91	नेशनल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड (ग्रुप)	92	हाइलई नाइलोन नेटिंग कंपनी
93	जियांग्सु जियांगचुआन रोप टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	94	ताइयान प्रेटीलॉयन लाइट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
95	डॉलर मेनलैंड इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड	96	ताइयान बेस्ट कारपोरेशन लिमिटेड
97	जोवियाल ट्रैवल-स्टफ कंपनी लिमिटेड	98	वेइहई बोटा फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड
99	जिबो जुआनांग एफआरपी कंपनी लिमिटेड	100	वेनझोऊ ओसियन-पायनीर फिशिंग इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड
101	शानडोंग युयुआन ग्रुप कंपनी लिमिटेड	102	जिशोऊजियांगगोंगल फिशिंग टूल्स कंपनी लिमिटेड
103	डोंगगुआन सिटी बेस्टवे स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी लिमिटेड	104	बीजिंग हिरनहेंगडा टेकनिक कंपनी लिमिटेड
105	जियामेन नी एंड कंपनी लिमिटेड	106	झोंगयिंग लीडर लेइसर एंड क्राफ्ट मैन्युफैक्चरर
107	लाईझोऊहुआनकियु रोप एंड बेल्ट फैक्टरी	108	जिनहई नेट एंड रोप मैन्युफैक्चरर कंपनी लिमिटेड
109	डाफेंग सिटी जिनयु एअर कम्प्रैशर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	110	होपवेल प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
111	नानटंग सिया मेलोडी इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड	112	हांगझोऊ फलाई फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड
113	क्विनडाओ लीडिंग लिंक ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	114	चांगझोऊ शनशेंग नेट्स वीव कंपनी लिमिटेड
115	झांजियांग वु झोऊ इलैक्ट्रोन कंपनी लिमिटेड	116	हांगझोऊ क्विनडाओ लेक फिशिंग टैकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड
117	झोऊशान वानशिडा मैरीन फूड्स कंपनी लिमिटेड	118	लियानयुनगंग हुआयंग फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड
119	हुनान झोंगतई स्पेशल इक्विपमेंट कंपनी लिमिटेड	120	झानजियांग होंगयुआन फिशिंग आर्टिकल कंपनी लिमिटेड
121	एशिनऐप्स इंडस्ट्रियल कंपनी (फिशिंग नेट) लिमिटेड	122	डोंगशानफुयोंग फिशरी इम्प्लीमेंट प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
123	वेईहई जिंगहईयुआन फिशिंग एंड नेटिंग टैकल कंपनी लिमिटेड	124	जिवेई ट्रैवलिंग प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड
125	झानजियांग झुम हेंग फिशिंग नेट लिमिटेड	126	नानटोंग न्यूटेक टेक्सटाइल एंड केमिकल फाइबर कंपनी लिमिटेड
127	मिंग युआन फिशिंग नेट फरदर प्रोसेसिंग फैक्टरी	128	जियामेन होंग जी फिशिंग टैकल कंपनी-लिमिटेड
129	सनली फिशिंग इम्प्लीमेंट्स ट्रेड कंपनी	130	वाईहेई होंगझोऊ स्पोर्ट्स कंपनी लिमिटेड
131	जियांग सिटी योयुयि फिशिंग नेट फैक्टरी कंपनी लिमिटेड	132	अंजी मिंगवांग फिशिंग गियर फैक्टरी

133	झानजियांग डोंगनी फिशिंग नेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	134	सिकोम शंघाई इंटरप्राइजेज लिमिटेड
135	वेंगझोऊ जिंघाई फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटैड	136	झांगजियांग डीओआईटी इम्पो .एंड एक्सपो . कंपनी लिमिटेड
137	ताइझोऊ सेलिंग फिशिंगनेट कंपनी लिमिटेड	138	लोंग जिंग प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
139	अनहुई गोल्डन सिया फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड	140	वुक्सी ताइयुनेट एंड ट्विन मैन्यु. कंपनी लिमिटेड
141	क्विंगडाओ डाताओ फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड	142	झांगजियागंग सनवेई मशीनरी कंपनी लिमिटेड
143	तियानजिन फिशिंगनेट कंपनी (मैन्युफैक्टरी) लिमिटेड	144	बिनझोऊ जिनहुई रोप नेट लिमिटेड कंपनी
145	वेनझोऊ जिनघई फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड	146	वेनलिंग ओसियन रोप एंड केबल कंपनी लिमिटेड
147	चाओहुईफंगतई फिशिंग गियर कंपनी लिमिटेड	148	शानटोऊ स्पेशल इकॉनोमिक जोन गुआनगाओ लाइट इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
149	यानचेंग सनलीको ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड	150	यानतई समहाई इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड
151	चाओहु एसिएनऐप्स फिशिंग नेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	152	अनहुई जिनचाओहे ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
153	एशियनऐप्स इंडस्ट्रियल कंपनी (फिशिंग नेट) लिमिटेड	154	हइआन हाइतियान थ्रीड्स कंपनी लिमिटेड
155	हुनान जिनहई नेट इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड	156	चाइना शिपबिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी (शंघाई) लिमिटेड
157	अनहुई प्रोविंस एंगुओ फिशिंग टैकल कंपनी लिमिटेड	158	ताइयान रोप नेट प्लास्टिक कंपनी लिमिटेड
159	झानजियांग डोंगनी फिशिंग नेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड	160	टंगशान लुकी इकॉनोमिक ट्रेड कंपनी लिमिटेड
161	चाओहु जियांगयु फिशिंग कंपनी लिमिटेड	162	बिनझोऊ युआनहेंगली इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
163	नानटंग झोंगचेंग नेट कंपनी लिमिटेड	164	ताइजिंग जुडोंग शिपिंग सेफ्टी इक्विपमेंट फैक्टरी
165	शंघाई बिगकार्प टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड	166	गुआंगजिन ग्रुप कंपनी लिमिटेड
167	चाओहु जुचाओ डिस्ट्रिक्ट ग्रेट रिवर फिशिंग नेट फैक्टरी	168	जियांगडु सिटी लिक्युमेई स्पोट्स नेट कंपनी लिमिटेड

च. वर्तमान निर्णायक जांच में किसी भी निर्यातक ने भाग नहीं लिया और प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया।

छ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों, प्रयोक्ताओं को निर्यातक की प्रश्नावलियां भेजी :

1	कलकत्ता फिशनेट कंपनी	2	एंकर इक्विपमेंट एंड स्पेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
3	गारवेयर वाल रोप्स लिमिटेड	4	सिल्वरसन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
5	डी.के. इंटरप्राइजेज	6	एम.एम. ट्रेडर्स
7	नोटिलस एक्वा सिस्टम्स	8	तेजस्वी एक्सपोर्ट्स
9	टाटा ब्लूस्कोप स्टील लिमिटेड	10	बोथारा ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड

11	नीलकमल लिमिटेड	12	सैमसंग सीएंडटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
13	एंकर ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड	14	फाउंटेनहैड रिटेटल प्राइवेट लिमिटेड
15	डीसीएस हेयर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (इंडिया)	16	ए-1 फेंस प्रोडक्ट्स कं. प्राइवेट लिमिटेड
17	जी इंडिया इंस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड	18	अनमोल नॉनवोवन
19	होम कलेक्टिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	20	सागर नेट्स
21	गारवेयर वाल रोप्स लिमिटेड	22	केशल यूनिवर्सल
23	प्लानेट इम्पैक्स	24	वीके सिंथेटिक्स
25	कमर ट्रेडिंग कं. (प्रा.) लिमिटेड	26	सैफ ट्रेडिंग कंपनी
27	ऐकनिष्ट	28	नाकवा इंटरप्राइजेज
29	फोनिक्स ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	30	गारवेयर वाल रोप्स लिमिटेड
31	पैकेजिंग एसोसिएट्स		

ज. वर्तमान जांच में किसी भी आयातक/ प्रयोक्ता ने भाग नहीं लिया।

झ. हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। हितबद्ध पक्षकारों को उनके अनुरोधों के अगोपनीय अंश को ई-मेल के माध्यम से माध्यम से एक दूसरे से आदान-प्रदान करने का परामर्श दिया गया था। तथापि, किसी भी अन्य हितबद्ध पक्ष्कार ने जांच में भाग नहीं लिया।

ञ. प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को विधिवत जांच करने के बाद, जहां आवश्यकता हुआ, उन्हें स्वीकार किया और ऐसी सूचना के गोपनीय होने को स्वीकार किया और उसे प्रकट नहीं किया है।

ट. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) अप्रैल 2021 – मार्च, 2022 (12 माह) की है। क्षति अवधि के रूप में विगत तीन वर्षों अर्थात 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि (पीओआई) पर विचार किया गया है।

ठ. आवेदक एसोसिएशन ने बाजार की सूचना से प्राप्त किए गए आयात संबंधी डेटा के आधार पर आवेदन दायर किया है। प्राधिकारी द्वारा महानिदेशक, सिस्टम (डीजीएस) को अनुरोध किया गया था कि वे विगत तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे प्रदान करें। प्राधिकारी ने क्षति अवधि के लिए डीजी, सिस्टम से सौदा-वार आयात संबंधी डेटा प्राप्त किए। प्राधिकारी ने इस जांच में आयातों की जांच करने के प्रयोजन के लिए डीजी सिस्टम के डेटा पर भरोसा किया है।

ड. वर्तमान जांच के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए डेटा का सत्यापन किया गया।

ढ. सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की ईष्टतम लागत और बनाने व बेचने की लागत पर आधारित क्षति-रहित कीमत (इसके बाद से 'एनआईपी' के रूप में कहा गया है) की गणना की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वर्तमान पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त हैं।

ण. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत और क्षति रहित कीमत की गणना करने के लिए नियमावली के अनुबंध-III में विनिर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के आधार पर, घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की यथा संभव जांच की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।

त. निमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 01 मार्च, 2023 को हुई मौखिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचार प्रकट करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया, जिसमें अपने कानूनी प्रतिनिधियों के साथ केवल घरेलू उद्योग द्वारा भाग लिया गया था। घरेलू

उद्योग से मौखिक सुनवाई में प्रस्तुत किए गए अपने विचारों को लिखित अनुरोधों के रूप में दायर करने का अनुरोध किया गया था।

थ. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 01 जून, 2023 को केन्द्र सरकार को अन्तिम सिफारिश करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों सहित प्रकटीकरण विवरण परिचालित किया। हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 3 जून, 2023 तक प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणियां दायर करने का निदेश दिया गया था।

द. घरेलू उद्योग द्वारा इस जांच के दौरान किए गए अनुरोधों और उठाए गए तर्कों के साथ वर्तमान जांच के लिए संगत पाए गए साक्ष्यों पर आवश्यकता के अनुसार विचार किया गया है।

ध. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए, जांच की अवधि की विनिमय दर 1 यूएस डॉलर = 75.37 रुपए ली गई है।

न. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' गोपनीय आधार पर किसी हितद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत की गई और नियमावली के तहत प्राधिकारी द्वारा विचार की गई सूचना को दर्शाता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

5. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

क. विचाराधीन उत्पाद 'फिशिंग नेट' है। चूंकि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: विचाराधीन उत्पाद वही रहा है, जो मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा परिभाषित किया गया था। इव अवधि के दौरान ऐसा कोई अन्य बदलाव नहीं हुआ।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित उत्पारद संबद्ध देश से आयात किए गए उत्पाद के समान वस्तु है।

ग. प्राधिकारी ने मूल जांच में यह निष्कर्ष दिया कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं घरेलू बाजार में आयात की गई वस्तुओं के समान वस्तुएं हैं।

घ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और प्रौद्योगिकी में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह समान वस्तु के समान रहा है।

ग.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

6. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पार और समान वस्तु के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "फिशनेट" अथवा "फिशिंग नेट" है। वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहा है, जो मूल जांच में परिषाषित किया गया है। मूल पाटनरोधी जांच में निर्धारित विचाराधीन उत्पाद नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है :-

"7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "फिशनेट" अथवा"फिशिंग नेट" है।

8. "फिशिंग नेट" ऐसे उपकरण होते हैं, जो कि नेट ग्रिड जैसे ढांचे में बुने हुए फाईबर से बनाए जाते हैं। फिशिंग नेट सामान्यतया अपेक्षाकृत पतले धागे से गुंथे हुए जाले होते हैं। नायलोन की तकनीकी विशेषताओं के कारण नायलोन फिशनेट, विश्वभर में कुल फिशनेट की खपत का 65-70% से अधिक भाग बनता है। वर्तमान याचिका में केवल नायलोन फिशिंग नेट शामिल हैं, – चाहे वो 100 % हो अथवा

ब्लेंडिड । ब्लेंडिड के मामले में इसके सीमा क्षेत्र में भारांश द्वारा 50% अथवा उससे अधिक नायलोन होता है।

9. उत्पाद का कोई विशिष्ट निर्धारित सीमा-शुल्क वर्गीकरण नहीं है। डीजीसीआईएंडएस द्वारा हमें उपलब्ध कराए गए आंकडों के अनुसार इस उत्पाद का आयात एचएस कोड 560811.10 के अंतर्गत किया जाता है। तथापि, सीमा-शुल्क का यह वर्गीकरण निर्देशात्मक मात्र है और यह किसी भी तरीके से उत्पाद के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

10. विचाराधीन उत्पाद को आगे मोनोफिलेमेंट यार्न नेट और मल्टीफिलेमेंट यार्न नेट में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोनोफिलेमेंट नेट का उत्पादन मोनोफिलेमेंट यार्न का उपयोग करके किया जा सकता है और मल्टीफिलेमेंट नेट के मामले में मल्टीफिलेमेंट यार्न का उपयोग किया जाता है तथा यार्न को पहले ट्विस्ट किया जाता है। उसके बाद हालांकि उत्पादन की प्रक्रिया समान है और उसमें बेफ्ट और वार्प नोटिंग के साथ नेटिंग, हीट स्ट्रेचिंग, डाईंग, एजिंग सामान्यकरण, जांच और पैकिंग शामिल होती है, फिर भी फिशिंग में मोनोफिलेमेंट नेट और मल्टीफिलेमेंट नेट का उपयोग बिल्कुल भिन्न होता है। तथापि, नेट की उपयोगी कार्य अवधि अधिकतम 6 महीनों तक की होती है और एक बार विक्षत हो जाने के बाद नेट की मरम्मत नहीं की जा सकती है। इसके विपरीत मल्टीफिलेमेंट नेट का उपयोग समुद्री तट पर/गहरे समुद्र में बडी मछली को पकडने के लिए किया जाता है। मल्टीफिलेमेंट नेटों की उपयोगी कार्य अवधि 2 से 2.5 वर्षों तक की होती है और इनके विक्षत हो जाने पर इनकी मरम्मत की जा सकती है।

11. एचडीपीई फिशिंग नेटों और कृषि नेटों के सबंध में यह नोट किया जाता है कि वर्तमान जांच, नायलोन फिशिंग नेट – चाहें वे 100% अथवा मिश्रित हैं, जिनमें भार से 50% अथवा उससे अधिक नायलोन शामिल हैं, के पाटन के बारे में है। सभी अन्य प्रकार के फिशिंग नेट अथवा अन्य नेट वर्तमान जांच के कार्य-क्षेत्र से बाहर हैं।

8. चूंकि यह एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अत: विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहा है, जो मूल जांच में था।

9. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुएं रासायनिक गुणों, उत्पाद विनिर्देशनों, तकनीकी विनिर्देशनों, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों एवं उपयोगों, कीमत, वितरण एवं विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में संबद्ध देश से आयात की गई वस्तुओं से तुलनात्मक है। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तद्नुसार, प्राधिकारी ने यह पाया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1 घरेलू उद्योग के विचार

10. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के आधार और दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

क. यह आवेदन एसोसिएशन के सदस्यों की ओर से इंडियन फिशनेट मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन (आईएफएमए) द्वारा दायर किया गया है। भारत में फिशिंग नेट उद्योग एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आता है और यह अत्यंत विखंडित है। अत: आवेदक एसोसिएशन ने विखंडित उद्योगों द्वारा पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी जांच के लिए आवेदन दायर करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए प्राधिकारी द्वारा जारी दिनांक 29 जुलाई, 2021 के व्यापार नोटिस सं. 9/2021 का पालन करते हुए अपने सभी सदस्यों की ओर से आवेदन दायर किया है। आवेदक एसोसिएशन ने यह प्रस्तुत किया है कि उसने उक्त व्यापार नोटिस की सभी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा किया है।

ख. निम्नलिखित 10 आवेदक कंपनियेां ने इस जांच के प्रयोजन के लिए अपनी संगत लागत और क्षति संबंधी सूचना प्रदान की है :-

i. जसनेट्स

ii. श्रीमा फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

iii. स्वास्तिक फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

iv. बलिगा फिशनेट्स

v. वसंतम इंडस्ट्रियल सेंटर

vi. ग्लोबल फिशनेट्स

vii. वी फिशनेट्स

viii. इंडोनेट्स

ix. कासिम नेट्स

x. बी एंड बी नेट्स

ग. आवेदक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा उत्पादन में भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा शामिल है।

घ. आवेदक सदस्य कंपनियों ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से भारत में किसी आयातक अथवा उत्पादक/ निर्यातक से संबद्ध हैं। यह आवेदन एसोसिएशन के सभी सदस्यों के सहयोग से दाखिल किया गया है।

ड. आवेदक कंपनियों ने नियम 2(ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग शामिल है और आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(3) के अन्तर्गत आधार की अपेक्षा को पूरा करता है।

च. एमएसएमई क्षेत्र में भारतीय उद्योग अत्यंत विखंडित और असंगठित है, जिससे यह असुरक्षित हो गया है।

घ.2 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

11. घरेलू उद्योग के आधार और दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

12. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

''(ख) "घरेलू उद्योग'' का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में ''घरेलू उद्योग'' शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"

13. यह आवेदन आईएफएमए द्वारा अपने सभी सदस्यों की ओर से दायर किया गया है। निम्नलिखित 10 कंपनियों ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सूचना प्रदान की है:

क. बी एंड बी नेट्स

ख. बालिगा फिशनेट्स

ग. ग्लोबल फिशनेट वर्क्स

घ. इंडो फिशनेट्स

ड. जसनेट्स

च. कासिम नेट्स

छ. श्रीमा फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

ज. स्वास्तिक फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

झ. वसंतम इंडस्ट्रियल सेंटर

ञ. वी फिशनेट्स

14. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवेदन दिनांक 29 जुलाई, 2021 की व्यापार सूचना सं. 09/2021 के अन्तर्गत एसोसिएशन के सदस्यों की सहायता से दायर किया गया था। फिशिंग नेट के भारतीय निर्माता एमएसएमई सेक्टर के अन्तर्गत आते हैं और उद्योग अत्यंत विखंडित है। दस आवेदक कंपनियों ने न तो संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से भारत में किसी आयातक अथवा उत्पादक/ निर्यातक से संबद्ध हैं। यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक कंपनियों के उत्पादन में भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। आवेदक कंपनियां नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से पात्र घरेलू उद्योग हैं और यह आवेदन, यहां तक कि नियम 23 के अन्तर्गत शुरु की गई एक निर्णायक समीक्षा में नियम 5(3) के तात्पर्य से आधार को स्थापित किए जाने की जरूरत नहीं है, नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मानदंड को पूरा करता है।

ड. संबद्ध देश से पाटन का जारी रहना – सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

15. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निर्यातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

16. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, और पाटन मार्जिन के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं :-

क. चीन को प्राधिकारी द्वारा विगत मामलो में और जांच प्राधिकारियों द्वारा अन्य देशों में प्रस्तुत की गई स्थिति के अनुसार एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए। चीन के उत्पादकों की लागतों और कीमतों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता।

ख. प्राधिकारी सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अनुबंध-I के पैरा 1-6 का अनुसरण तभी करेंगे जब उत्तर देने वाली चीन की कंपनियां यह स्थापित करें कि उनकी लागतों और कीमत की सूचना ऐसी है कि व्यक्तिगत सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन निर्धारित किया जा सके। यदि उत्तर देने वाली चीन की कंपनियां यह प्रदर्शित करने के लिए समर्थ नहीं हैं कि उनकी लागतों और कीमत संबंधी सूचना अपनाई जा सकती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी व्यक्तिगत पाटन मार्जिन का दावा अस्वीकार करेंगे।

ग. अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 चीन जन. गण. से आयातों के लिए सामान्य मूल्य की गणना के लिए तब तक लागू नहीं होता, जब तक कि कोई उत्पादक/ निर्यातक इस बात के पर्याप्त साक्ष्य न दर्शाए कि वह बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अंतर्गत प्रचालन कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-I के पैरा पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना है।

घ. चूंकि सामान्य मूल्य इस कारण से एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य पर निर्धारित नहीं किया जा सकता कि संगत सूचना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, अत: आवेदक एसोसिएशन ने विधिवत समायोजन करने के बाद थाइलैंड से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात कीमत के आधार पर निर्धारित किया है।

ड. आवेदक एसोसिएशन ने सीआईएफ कीमत को लिया है और उसे समुद्री मालभाड़ा, स्वदेशी मालभाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह व्यय, कमीशन और बैंक प्रभारों के लिए समायोजित किया है ताकि निर्यात कीमत निर्धारित की जा सके।

च. पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम से अधिक है, बल्कि संबद्ध देश के लिए महत्वपूर्ण भी है।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य

17. अधिनियम की धारा 9क (1) (ग) के अन्तर्गत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

(i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा

(ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रकिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा :

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा

(ख) उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत;

बशर्ते यदि उक्त वस्तु का आयात उदगम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल यानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

18. डब्ल्यूटीओ में चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत प्रावधान इस प्रकार हैं:

"जीएटीटी का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI के कार्यान्वयन संबंधी करार तथा एससीएम करार निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्यों में चीन मूल के आयातों वाली कार्यवाहियों पर लागू होंगे :

(क) जीएटीटी के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी समझौते के तहत मूल्य की तुलना का निर्धारण करने में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतें के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजयसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

19. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो गए थे, लेकिन एक्सेसन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क)(i) के अन्तर्गत बाध्यता के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के अन्तर्गत प्रावधानों में भारत की नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्दिष्ट मानदंडों को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने के लिए अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/ डेटा के माध्यम से पूरा किया जाना आवश्यक है।

20. चीन में किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने जांच में सहयोग नहीं किया है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, और चीन की किसी भी निर्यातक कंपनी द्वारा गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन न किए जाने के कारण, प्राधिकारी वर्तमान जांच में चीन जन. गण. को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानना उपयुक्त समझते हैं और चीन जन. गण. के मामले में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार कार्रवाई का प्रस्ताव करते हैं।

21. नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 को इस प्रकार पढ़ा जाता है :-

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत सहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्द उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयनुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विशेष में सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

22. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम विनिर्दिष्ट किया गया है ओर यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा भारत सहित किसी अन्य देश को ऐसे किसी तीसरे देश से कीमत अथवा जहां किसी तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यकतानुसार विधिवत समायोजन करके समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध 7 के अन्तर्गत प्रदत्त विभिन्न क्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखकर किया जाना है।

23. आवेदक ने इस समीक्षा जांच की शुरुआत की अवस्था में, थाइलैंड से भारत में आयातों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव किया।

24. प्राधिकारी शेन्यांग मस्तसुशीता एस. बैट्री कं. लि् बनाम एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (सिविल अपील सं. 617112003 दिनांक 23/2/2005), सेन्चुरी प्लाइबोर्ड्स (आई) लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ में उच्चतम न्यायालय के निर्णय (डब्ल्यू.पी. सं. 6568/2017 दिनिंक 04/10/2018) और अपोलो टायर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (अपील सं. सी1768, 600, 601, 773, 769/2005-एडी दिनांक 9/9/2005) मामले में सेस्टेट प्रिंसिपल बैंच, नई दिल्ली ओर कुइतुन जिन्जियांग कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ (अपील सं. 52291/2019, दिनांक 5 अगस्त, 2020) मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के निर्णय में निहित किसी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के मामले में सामान्य मूल्य के निर्माण के संबंध में मौजूदा विधिशास्त्र को नोट करते हैं। ये निर्णय एक उपयुक्त विकल्प के चयन और उससे जुड़ी बाध्यताओं के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के कार्यान्वयन के संबंध में अनुदेश प्रदान करते हैं। कुइतुन जिन्जियांग कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में माननीय सेस्टेट ने यह पाया है कि विकास का स्तर तभी संगत होगा यदि किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से घरेलू बिक्री कीमत अथवा उत्पादन की लागत अपनाई जाती है न कि तब, जब सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत को निर्यातों पर विचार किया जाता है। माननीय अधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने यह विचार किया कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और आपूर्ति के विकास के स्तर से प्रभावित नहीं होता।

25. उपरोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी थाइलैंड से भारत को कीमतों पर चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य के रूप में विचार करते हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए पैरा 7 के अन्तर्गत यह विकल्प उपयुक्त है और संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य का

प्रतिनिधिक है क्योंकि थाइलैंड एक गैर-संबद्ध देश है, जिस पर कोई पाटनरोधी जांच नहीं चल रही है अथवा व्यापार उपचारी उपाय लागू नहीं हैं और जांच की अवधि में आयात का मूल्य महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत पर आधारित निर्मित सामान्य मूल्य के लिए तुलनीय है, जिसमें बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों तथा लाभों के लिए तर्कसंगत वृद्धि शामिल है।

26. इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूलय नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

निर्यात कीमत

27. चीन जन. गण. से किसी उत्पादक/ निर्यातक से सहयोग के अभाव में, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम डेटा के आधार पर निवल निर्यात कीमत निर्धारित की है। चूंकि यह डेटा सीआईएफ के संदर्भ में है, अत: पर्याप्त समायोजन किए गए हैं ताकि कारखाना बाह्य स्तर तक पहुंचा जा सके। निर्धारित की गई भारत औसत कारखाना बाह्य निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

पाटन मार्जिन

28. संबद्ध वस्तुओं के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन नीचे निर्धारित किया गया है :-

क्र .सं.	उत्पादक	सामान्य मूल्य (यूएस डॉलर/ कि.ग्रा.)	निवल निर्यात कीमत (यूएस डॉलर/ कि.ग्रा.)	पाटन मार्जिन (यूएस डॉलर/ कि.ग्रा.)	पाटन मार्जिन (%)	पाटन मार्जिन (रेंज%)
1	चीन जन. गणसे . /सभी उत्पादक निर्यातक	***	***	***	***	140-150

च. क्षति के जारी रहने की संभावना – क्षति और कारणात्मक संबंध का आकलन

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

29. क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए।

च.2 घरेलू उद्योग के विचार

30. घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे :

क. चीन जन. गण. पर शुल्कों को लगाने के बाद, चीन के निर्यातकों ने मलेशिया के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं की प्रवंचना शुरु कर दी। प्राधिकारी ने दिनांक 21 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं. 07/01/2023- डीजीटीआर के तहत मलेशिया से फिशिंग नेट के आयातों की कथित प्रवंचना के लिए एक प्रवंचना शुरु की है।

ख. भारतीय उद्योग एमएसएमई सेक्टर में आता है, जो कि अत्यंत विखंडित है और असंगठित है, अत: यह असुरक्षित है। यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चीन से आ रहे चीन के मूल के पाटित आयातों से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। भारत में निर्माता अधिकतर मालिक संचालित हैं, तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव है और अवसंरचना, जो कि सीमित संख्या में ऐसे कर्मचारियों से संचालित है, जो इन कंपनियों में अनेक जॉब संभालते हैं।

ग. फिशिंग नेट का एक औसत निर्मात कुल भारतीय उत्पादन का 0.5 से 1 प्रतिशत के बीच योगदान करता है और उनके कार्यों में चीन के मूल के निरंतर आयातों के कारण क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

घ. संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में जांच की अवधि सहित क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ड. चीन जन. गण. से आयातों में शुल्क लगाने के बाद क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है, जबकि चीन मूल के आयातों में क्षति अवधि के दौरान मलेशिया से काफी वृद्धि हुई है क्योंकि चीन के निर्यातकों ने अपनी वस्तुओं की ट्रांशिपिंग शुरु कर दी। पूरी क्षति अवधि के दौरान आयातों में सापेक्ष संदर्भ में गिरावट आई है।

च. भारतीय बाजार में काफी पाटित कीमतों पर आयातों का आना जारी रहा और यह बिक्री कीमत और उत्पादन की लागत से काफी कमतर रही। चीन ऐसी कीमतों पर आयात करता रहा है, जो कि घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से 2 गुणा से भी काफी कम है।

छ. आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती हो रही है और इससे कीमतों में आगे कटौती होने की संभावना है, यदि शुल्क समाप्त होने दिए जाते हैं।

ज. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण लागतों के असमानांतर थी।

झ. वर्ष 2019-20 के बाद क्षमता में मामूली वृद्धि हुई, जबकि घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियों में आधार वर्ष की तुलना में गिरावट आई।

ञ. चीन से पाटित आयातों के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई। तथापि, मलेशिया से चीन के मूल की वस्तुओं के बाजार अंश में काफी वृद्धि हुई। इन पाटित आयातों से घरेलू उद्योग के बाजार अंश में वृद्धि में काफी रुकावट हुई, जबकि भारतीय उद्योग के अंश में समग्र रूप से पूरी क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई।

ट. क्षति अवधि के दौरान लाभों तथा आरओआई में गिरावट आई। वस्तु सूचियों में आधार वर्ष से दो गुना से अधिक वृद्धि हुई।

ठ. एमएसएमई कंपनियों के लिए अपनी स्थापनाओं को चलाने के लिए लाभ महत्वपूर्ण है। इसमें चीन के मूल के पाटित आयातों के कारण क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है और पुन: शटडाउन की आशंका का सामना कर रही है।

ड. क्षति अवधि के दौरान रोजगार और मजदूरी में वृद्धि हुई।

ढ. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई।

ण. पाटनरोधी शुल्क लागू रहने के बावजूद संबद्ध वस्तुओं का पाटन मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण रहा।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

31. नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी भी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है, ".....समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा, कीमतों पर उनके प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए...."

32. प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच करने के लिए आगे कार्रवाई करने से पूर्व संबद्ध देश से आयातों के संबंध में विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच की है। पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह जांच करनी अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों में, भारत में उत्पादन अथवा खपत के निरपेक्ष अथवा सापेक्ष संदर्भ में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत संबंधी प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह जांच करनी अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हो रही है अन्यथा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों को अन्यथा दबाने अथवा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच के लिए, उद्योग की स्थिति से संबंध रखने वाले संकेतक, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन इत्यादि पर नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार विचार किया गया है।

33. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के अनुसार उनका विश्लेषण किया है। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने क्षति और कारणात्मक संबंध पर कोई अनुरोध नहीं किया है।

च.3.1 मांग का आकलन

34. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग और अन्य सभी भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और संबद्ध देश से डीजी सिस्टम डेटा के अनुसार आयातों तथा अन्य सभी स्रोतों से आयातों के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को विचार में लिया है।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
आवेदक कंपनियों की बिक्रियां	मी. टन	3,911	3,247	3,146	3,510
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	80	90
अन्य उत्पादकों की बिक्रियां	मी. टन	12,079	13,040	12,703	12,157
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	105	101
चीन जन. गण से संबद्ध आयात	मी. टन	164	6	23	9
मलेशिया से आयात	मी. टन	599	988	1,885	2,533
अन्य देश से आयात	मी. टन	346	617	405	312
कुल मांग	मी. टन	17,099	17,898	18,162	18,521
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	106	108

35. यह देखा गया है कि जांच की अवधि सहित पूरी अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में वृद्धि हुई है। संबद्ध वस्तुओं के लिए मांग में क्षति अवधि के दौरान 1,422 मी. टन तक की वृद्धि हुई है, जबकि उसी अवधि के लिए आयातों में वृद्धि चीन जन. गण. और मलेशिया के लिए संचित रूप में 1,779 मी. टन है। यह देखा गया है कि आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि से अधिक है। आवेदकों की घरेलू बिक्रियों में क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है।

च.3.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) आयात की मात्रा और संबद्ध देश का अंश

36. संबद्ध देश से पाटित आयातों की मात्रा और अन्य देशों से आयातों की मात्रा के प्रभावों की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है, जो इस प्रकार है :

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
आयात मात्रा					
संबद्ध देश – चीन	मी. टन	164	6	23	9
मलेशिया	मी. टन	599	988	1,885	2,533
अन्य देश	मी. टन	347	459	617	405
कुल आयात	मी. टन	1,110	1,452	2,526	2,947
निम्नलिखित के संबंध में संबद्ध आयात					
कुल आयात	%	15%	0.42%	1%	0.31%
भारतीय उत्पादन	%	0.88%	0.03%	0.13%	0.05%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	3	15	6
भारतीय मांग	%	0.96%	0.03%	0.13%	0.05%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	3	14	5

37. यह देखा गया है कि :

i. पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने के साथ ही, संबद्ध आयातों में निरपेक्ष संदर्भ में क्षति अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है।

ii. उत्पादन और खपत के संदर्भ में आयातों में वही प्रवृत्ति जारी रही और उनमें शुल्क लगाए जाने के साथ ही काफी गिरावट आई।

iii. चीन जन. गण. से आयातों में गिरावट में मलेशिया से आयातों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि मलेशिया के माध्यम से निर्यात की जा रही वस्तुएं चीन के मूल की वस्तुएं हैं। प्राधिकारी ने प्रथम दृष्टया संतुष्ट होने के बाद, दिनांक 21 फरवरी, 2023 की अधिसूचना सं.7/01/2023- डीजीटीआर के तहत मलेशिया के माध्यम से निर्यात किए गए आयातों पर एक प्रवंचनारोधी जांच शुरु की है। इसके बाद, प्राधिकरण ने अंतिम जांच परिणाम दिनांक 07 जून 2023 के तहत मलेशिया से फिशिंग नेट के आयात पर मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क को विस्तारित करने की सिफारिश की और यह निर्धारित किया कि चीनी उत्पादक मलेशिया के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करके मौजूदा शुल्क को दरकिनार कर रहे हैं।

38. यह नोट किया जाता है कि मूल जांच की जांच की अवधि में चीन से आयात 1,093 एमटी था और मलेशिया से नगण्य था । वर्तमान जांच अवधि में मलेशिया और चीन से संचयी रूप से आयात 2,542 एमटी है। प्राधिकारी ने नोट किया कि पिछली जांच की जांच की अवधि से वर्तमान जांच की अवधि तक संचयी आयात में 131 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

च.3.3. पाटित आयातों का कीमत संबंधी प्रभाव

39. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण करना आवश्यक है कि क्या भारत में समान उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित पाटित आयातों से पर्याप्त कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव कीमतों पर अन्यथा दबाव डालने अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए हैं, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में हो गई होती।

40. तद्नुसार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के संबंध में घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभावी की, कीमतों में कटौती और कीमतों पर ह्रास/ न्यूनीकरण के संदर्भ में जांच की गई है। इस विश्लेषण के

प्रयोजन के लिए, घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत और निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) की, संबद्ध देश से संबद्ध आयातों की पहुंच से तुलना की गई है।

क) कीमत कटौती

41. यह निर्धारण करने के लिए कि क्या आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत की तुलना करके कीमत कटौती की गणना की गई है।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	जांच की अवधि
आयातों की पहुंच कीमत	रु./ कि.ग्रा.	231	212	265	265
निवल बिक्री वसूली	रु./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./ कि.ग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	%	***	***	***	***
कीमत कटौती	% रेंज	80-100	100 - 120	60-80	80- 100

42. यह देखा गया है कि चीन से आयातों की मात्रा में गिरावट आई है। तथापि, आयातों की पहुंच कीमत, जांच की अवधि में सूचित मात्रा के लिए भी, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी नीचे जारी रही है। आयतों से घरेलू उद्योग की कीमतों में महत्वपूर्ण कटौती हो रही है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया कि चीन के आयातों में गिरावट पाटनरोधी शुल्क का भुगतान किए बिना मलेशिया से चीन के आयातों में वृद्धि होने के कारण से है। मलेशिया से आयातों की पहुंच कीमत पाटनरोधी शुल्क को जोड़ने के बाद चीन से पहुंच कीमत से कमतर है।

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 जांच की अवधि
आयातों की पहुंच कीमत	रु./कि.ग्रा.	231	212	265	265
चीन पर पाटनरोधी शुल्क	रु./कि.ग्रा.	155	153	165	165
पाटनरोधी शुल्क के साथ चीन	रु./कि.ग्रा.	386	365	430	430
मलेशिया	रु./कि.ग्रा.	359	387	395	400
आयातों की मात्रा					
चीन	मी. टन	163	6	23	9
मलेशिया	मी. टन	599	987	1,885	2,532

ख). कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण

43. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पाटित आयातों से घरेलू कीमतें कम हो रही हैं अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों को अत्यधिक मात्रा में कम करने के लिए है और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में वृद्धि हो गई होती, प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान लागतों व कीमतों और पहुंच मूल्य में परिवर्तनों पर विचार किया है। स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है :

विवरण	इकाई	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
बिक्री लागत (कारखाना बाह्य)	रुटन .मी/.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*102*	*101*	*116*
बिक्री कीमत	रुटन .मी/.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*105*	*107*	*116*
पहुंच मूल्य – चीन (एडीडी के बिना)	रुटन .मी/.	2,31,114	2,11,749	2,65,012	2,64,885
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*92*	*115*	*115*
पहुंच मूल्य – मलेशिया	रुटन .मी/.	3,59,039	3,87,220	3,95,322	4,00,897
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*108*	*110*	*112*

44. यह नोट किया गया है कि बिक्री लागत और बिक्री कीमत दोनों में क्षति अवधि के दौरान लगभग समान स्तर की वृद्धि हुई है। चीन जन. गण. से आयातों का पहुंच मूल्य भी क्षति अवधि में बढ़ा है। तथापि, वह घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और बिक्री कीमत से काफी कम रहा है। इसके अलावा, मलेशिया से आयातों की पहुंच कीमत भी बिक्री लागत में वृद्धि के अनुपात में नहीं बढ़ी है और वास्तव में घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम रही है। इस प्रकार चीन से मलेशिया को आयात में बदलाव से घरेलू बाजार में कीमत ह्रास हुआ है। क्षति अवधि के दौरान चीन द्वारा अपनाए गए कीमत निर्धारण के स्तर से पता चलता है कि चीन पर शुल्क हटाने से घरेलू बाजार में कीमतों पर काफी कीमत न्यूनकारी/ह्रासकारी प्रभाव पड़ेगा।

च.3.4. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

45. नियमावली के अनुबंध-II में यह प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल है जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। तदनुसार, घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न क्षति मापदंडों की नीचे चर्चा की गई है।

क) क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्रियां

46. प्राधिकारी ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री मात्रा पर विचार किया है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
स्थापित क्षमता	एमटी	7,210	7,210	7,281	7,441
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*100*	*101*	*103*
उत्पादन	एमटी	5,336	5,097	4,765	5,201
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*96*	*89*	*97*
क्षमता उपयोग	%	74	71	65	70
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*96*	*88*	*94*
घरेलू बिक्रियां	एमटी	3,911	3,247	3,146	3,510
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*83*	*80*	*90*

47. यह देखा गया है कि:

क. 2019-20 तक क्षमता स्थिर रही है और उसके बाद बढ़ी है।

ख. उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में आधार वर्ष से 2020-21 में गिरावट आई है और पीओआई में वृद्धि हुई है। तथापि, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग फिर भी आधार वर्ष की तुलना में कम रहे हैं।

48. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि क्षति अवधि में उत्पादन और बिक्री में गिरावट मलेशिया के रास्ते चीन के उद्गम की वस्तुओं की मौजूदगी के कारण आई है। संबद्ध वस्तु से संबंधित हाल में समाप्त हुई प्रवंचना रोधी जांच में प्राधिकारी का निर्धारण यह पुष्टि करता है कि मलेशिया से फिशिंग नेट के आयात वास्तव में चीन के उद्गम के फिशिंग नेट हैं जिनकी वजह से वर्तमान क्षति अवधि के दौरान उत्पादन और बिक्री में गिरावट आई है।

ख) मांग में बाजार हिस्सा

49. घरेलू उद्योग की मांग में बाजार हिस्से पर पाटित आयातों की प्रभाव की निम्नानुसार जांच की गई है:-

मांग में बाजार हिस्सा	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
घरेलू उद्योग	%	23%	19%	17%	19%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83	74	83
अन्य उत्पादक	%	71%	73%	70%	65%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103	99	92

संबद्ध देश – चीन	%	1%	0.03%	0.13%	0.05%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	3	13	5
मलेशिया	%	4%	6%	10%	14%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	250	350
अन्य देश	%	2%	3%	2%	2%
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	150	100	100
कुल	%	100%	100%	100%	100%

50. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन गण से आयातों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान शुल्क लगाए जाने के साथ काफी गिरावट आई है । हालांकि, मलेशिया के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जो कि चीन में उत्पादकों द्वारा निर्यात की गई चोरी की गई वस्तु है, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर हाल ही में समाप्त की गई धोखाधड़ी-विरोधी जांच में निर्धारित किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग और समग्र रूप से भारतीय उद्योग दोनों के बाजार हिस्से में क्षति अवधि के दौरान शुल्कों के बावजूद चीन से मलेशिया में आयातों के अंतरण को देखते हुए गिरावट आई है।

ग) लाभप्रदता, नकद लाभ, और नियोजित पूंजी पर आय

51. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ, लाभप्रदता, नकद लाभ, ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी) और निवेश पर आय का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है:-

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
बिक्रियों की लागत	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*102*	*101*	*116*
बिक्री मूल्य	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	*100*	*105*	*107*	*116*
कर पूर्व लाभ	रू./एमटी	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	130	175	118
कर पूर्व लाभ	लाख रू	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	138	134
नकद लाभ	लाख रू	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	128	134
ब्याज और कर पूर्व लाभ	लाख रू	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	133	125
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	140	61

52. यह नोट किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने से घरेलू उद्योग लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय अर्जित करने में सक्षम रहा है। तथापि, लाभप्रदता और आरओआई में गिरावट आई है और वे अब भी निचले स्तर पर थे। तथापि, लाभप्रदता, आरओआई और नकद लाभ में पीओआई में भारी गिरावट आई है।

घ) मालसूची

53. क्षति अवधि और पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति से संबंधित आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
मालसूची	एमटी	397	420	548	707
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	138	178

54. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की मालसूची के स्तर में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ड.) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

55. घरेलू उद्योग के रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता संबंधी स्थिति निम्नानुसार है:-

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	2,836	2,628	2,991	3,247
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	93	105	114
वेतन और मजदूरी	लाख रू.	2,710	2,741	2,654	2,999
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101	98	111
प्रति दिन उत्पादकता	एमटीदिन/	16	15	14	15
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	94	88	94

56. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार और मजदूरी में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान प्रति दिन उत्पादकता लगभग स्थिर रही है।

च) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

57. यह देखा गया है कि निवेशों पर अर्जित आरओसीई कम रही है।

छ) पाटन की मात्रा और पाटन मार्जिन

58. यह देखा गया है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से अधिक और काफी अधिक है। मात्रा में गिरावट के बावजूद पाटन जारी रहा है।

ज) वृद्धि

59. आवेदक कंपनियों की वृद्धि संबंधी सूचना नीचे दी गई है:

विवरण	यूनिट	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
उत्पादन	%		-0.04	-0.07	0.09
बिक्रियां	%		-0.17	-0.03	0.12
लाभहानि/	%		0.07	0.29	-0.03
नकद लाभ	%		0.04	0.22	0.05

60. यह देखा गया है कि मात्रा संबंधी मापदंडों में कुछ सुधार हुआ है तथापि, कीमत मापदंडों में पीओआई में ऋणात्मक वृद्धि दर्शाई है।

छ. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण विश्लेषण

61. प्राधिकारी ने पाटित आयातों से इतर ज्ञात कारकों की जांच की है और पता लगाया है कि क्या इनकी वजह से उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, ताकि इन अन्य कारकों से हुई क्षति, यदि कोई हो, के लिए पाटित आयातों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाए। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य के साथ-साथ पाटित कीमतों पर नहीं बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमत, मांग में संकुचन या खपत की प्रवत्ति में परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं और विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं।

क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

62. यह देखा गया है कि मलेशिया से आयात काफी अधिक हैं और कम कीमत पर हैं जिनके लिए प्राधिकारी ने प्रवंचना रोधी जांच शुरू की है और यह निर्धारित करते हुए तत्संबंधी अधिसूचना सं. 7/01/2023-डीजीटीआर, दिनांक 07 जून, 2023 के माध्यम से अंतिम जांच परिणाम जारी किए हैं कि मलेशिया से आयात चीन के उद्गम के फिशिंग नेट हैं जिन्हें मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के प्रवंचना के लिए भारत को निर्यात किया जा रहा है। सभी अन्य देशों से आयात न्यूनतम सीमा से कम या उच्चतर कीमतों पर हुए हैं।

ख) मांग में संकुचन

63. यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ग) खपत की प्रवृत्ति में परिवर्तन

64. यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की खपत की प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ) प्रतिस्पर्धा की स्थितियां और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं

65. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच से प्रतिस्पर्धा की स्थिति में किसी परिवर्तन या किसी व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा का पता नहीं चला है।

ड.) प्रौद्योगिकी में विकास

66. यह देखा गया है कि प्रौद्योगिकी में को बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

च) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

67. प्राधिकारी ने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के आंकड़ों पर विचार किया है और निर्यात निष्पादन क्षति का कारण नहीं हो सकता है।

छ) अन्य उत्पादों का निष्पादन

68. घरेलू उद्योग ने पीयूसी के लिए क्षति संबंधी आंकड़े प्रदान किए हैं और क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने उन्हें स्वीकार किया है। आवेदक कंपनियों द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों के निष्पादन पर विचार नहीं किया गया है और इसलिए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, का संभावित कारण नहीं हो सकता है।

ज. क्षति मार्जिन की मात्रा

69. प्राधिकारी ने यथासंशोधित अनुबंध-III के साथ पठित नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) निर्धारित की है। विचाराधीन उत्पाद की एनआईपी पीओआई के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित की गई है। एनआईपी पर क्षति मार्जिन की गणना हेतु संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना के लिए विचार किया गया है। एनआईपी के निर्धारिण हेतु क्षति अवधि के दौरान कच्ची सामग्रियों और सुविधाओं के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। क्षति अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। असाधारण या गैर-आवर्ती व्ययों को उत्पादन लागत से अलग रखा गया है। नियमावली के अनुबंध-III में यथाविहित एनआईपी ज्ञात करने के लिए विचाराधीन उत्पाद हेतु औसत नियोजित पूंजी (अर्थात औसत निवल स्थिर परिसंपति जमा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक तर्कसंगत आय (कर पूर्व 22 प्रतिशत की दर से) की कर पूर्व लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

70. ऊपर यथानिर्धारित पहुंच कीमत और एनआईपी के आधार पर प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित क्षति मार्जिन नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	उत्पादक	क्षतिरहित कीमत (यूएस डॉलर/कि.ग्रा.	पहुंच कीमत (यूएस डॉलर/कि.ग्रा.	क्षति मार्जिन (यूएस डॉलर/कि.ग्रा.	क्षति मार्जिन (%)	क्षति मार्जिन (रेंज %)
1	चीन जन. गण. से सभी उत्पादक/निर्यातक	***	3.51	***	***	55 - 65

झ. पाटन और क्षति की जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

झ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

71. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

झ.2. घरेलू उद्योग के विचार

72. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. चीन से आयातों में शुल्क लागू होने के बाद गिरावट आई है; तथापि, पाटन मार्जिन चीन के मूलता वाली संबद्ध वस्तु के आयात के संबंध में सकारात्मक रहा है।

ख. भारतीय उद्योग एमएसएमई की श्रेणी में आता है और भारत में संबद्ध वस्तु के 100 से अधिक उत्पादक हैं। इनमें से अधिकांश उत्पादक छोटे प्रतिष्ठान चला रहे हैं जिन्हें क्षति का खतरा है।

ग. चीन के उत्पादकों ने मलेशिया के रास्ते अपने उत्पादों के आयात द्वारा भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति बनाये रखी है। मौजूदा शुल्क को मलेशिया के रास्ते चीन के उद्गम वाली संबद्ध वस्तु को मंगा कर व्यापक तौर पर निष्प्रभावी कर दिया गया है। मलेशिया के विरूद्ध प्राधिकारी द्वारा प्रवंचना रोधी जांच की शुरूआत अपने आप इस तथ्य को प्रथमदृष्ट्या स्वीकार करती है कि शुल्क को हटाने के बाद चीन के निर्यातकों का व्यवहार क्या रहने की संभावना है।

घ. चीन के उत्पादकों के पास उनकी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमताओं से अधिक क्षमता है।

ड. चीन के उत्पादकों ने 2016 से 2020 तक तीसरे देशों को अपने निर्यात बढ़ा दिए हैं और अनेक उत्पादक पत्तनों के पास रणनीतिक रूप से स्थित हैं जिससे उनके उत्पादों का निर्यात सुगम बना है।

च. चीन के उत्पादक काफी अधिक निर्यातोन्मुखी हैं जो विश्व भर में उत्पादों के अपने कुल उत्पादन का 70 प्रतिशत से अधिक निर्यात करते हैं।

छ. चीन में फिशिंग नेट के 200 से अधिक उत्पादक हैं और केवल तीन कंपनियों के बारे में उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि उनके पास 10,000 एमटी से अधिक क्षमता है।

ज. अन्य देशों को चीन के निर्यातकों द्वारा किए गए पाटित और क्षतिकारी निर्यातों की मात्रा काफी अधिक है और भारत में मौजूदा मांग के कई गुना है। भारतीय मांग के संबंध में पाटित और क्षतिकारी निर्यातों की इस मात्रा का प्रतिशत 300 प्रतिशत है जो 2022 में चीन द्वारा किए गए कुल निर्यात का लगभग 63 प्रतिशत है।

झ. मौजूदा अतिरिक्त उत्पादन क्षमताओं और भारी निर्यातों के बावजूद चीन के उत्पादकों ने और अधिक निवेश तथा नवाचार के साथ अपनी सुविधाओं के विस्तार पर और अधिक ध्यान केंद्रित किया है।

ञ. भारतीय बाजार अत्यधिक कीमत आकर्षक है और तीसरे देशों को चीन से निर्यातित संबद्ध वस्तु की अधिकांश मात्रा ऐसी कीमत पर की गई है जो भारत को निर्यात की जा रही वस्तु के स्तर से कम है। शुल्कों की समाप्ति से भारत में इन पाटित निर्यातों को भेज दिया जाएगा।

ट. भारतीय बाजार कीमत संवेदी और संवेदनशील है। कीमत उपभोक्ताओं के लिए उनकी खरीद का निर्णय लेने हेतु इसका प्रमुख निर्णायक कारक है। पाटनरोधी शुल्क के अभाव में बाजार में कम कीमत के आयातों की उपलब्धता से निश्चित रूप से भारत में उत्पाद की कीमत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

73. वर्तमान जांच चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तु के आयातों पर लागू शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है। नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना है। आवेदक ने अपनी याचिका में पाटन की पुनरावृत्ति की संभावना का साक्ष्य दिया है और जांच की प्रक्रिया के दौरान पूरक सूचना प्रस्तुत की है तथा यह अनुरोध किया है कि उससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। किए गए अनुरोध और रिकार्ड में साक्ष्य की प्राधिकारी द्वारा जांच की गई है।

74. प्राधिकारी ने धारा 9क(5), नियम 23 और नियमावली के अनुबंध-II (vii) के अनुसार तथा रिकार्ड में लाये गए अन्य संगत कारकों के अनुसार वास्तविक क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों पर विचार करते हुए पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है। चूंकि वर्तमान जांच इस समय लागू पाटनरोधी शुल्क की एक निर्णायक समीक्षा है और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए यह निर्धारित करना अपेक्षित है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटनरोधी शुल्क को लागू रखना आवश्यक है।

75. ऐसे किसी संभावना विश्लेषण के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमावली के अनुबंध-II (vii) के खंड 7 में अन्य बातों के साथ-साथ क्षति के खतरे के लिए संगत कारकों तथा ऐसे अन्य कारकों का प्रावधान है जिनका निर्णायक समीक्षा में भी संभावना विश्लेषण में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, यह संभावना के निर्धारण के लिए संगत मापदंडों की एक गैर-व्यापक सूची है।

i. भारत में पाटित आयातों में वृद्धि की अत्यधिक दर पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयातों की संभावना दर्शाती है।

ii. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त मुक्त रूप से निपटान योग्य या आसन्न, भारी वृद्धि किसी अतिरिक्त निर्यात को खपाने में अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों को पाटित आयातों में काफी वृद्धि होने की संभावना को दर्शाती है।

iii. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनसे घरेलू कीमतों पर काफी ह्रासकारी या न्यूनकारी प्रभाव पड़ेगा और उनसे आगे और आयातों की मांग में वृद्धि होने की संभावना है।

iv. वस्तु की मालसूची की जांच की जा रही है।

v. प्रस्तावित पीओआई और उससे तीन साल पहले के दौरान संबद्ध देशों में विचाराधीन उत्पाद की कुल और अतिरिक्त क्षमताएं हैं।

vi भारत से इतर देशों को संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा निर्यातों की मात्राएं और कीमत । यदि ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों विशेष रूप से जिनके लिए अलग आंकलन किया गया है, के लिए आंकड़े उपलब्ध न हो तो संबद्ध देश के लिए समग्र सूचना उपलब्ध करायी जाए।

vii. संबद्ध देशों में उत्पादकों/निर्यातकों का निर्यातोन्मुख होना यदि ऐसे उत्पादकों/निर्यातकों विशेष रूप से जिनके लिए अलग आंकलन किया गया है, के लिए आंकड़े उपलब्ध न हो तो संबद्ध देश के लिए समग्र सूचना उपलब्ध करायी जाए।

viii. इस बात का औचित्य कि पाटन रोधी शुल्क हटाए जाने के बाद क्यों भारतीय बाजार उक्त (क) से (ग) के होते हुए भी निर्यातों के लिए एक गंतव्य के रूप में चुना जाएगा। भारतीय बाजार की आकर्षकता को न्यायोचित ठहराया जाएगा।

76. प्राधिकारी ने ऊपर सूचीबद्ध मापदंडों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना के आकलन के लिए संगत विभिन्न कारकों की जांच की है। इसके अलावा, प्राधिकारी ने ऐसे अन्य संगत कारकों की भी जांच की है जिनसे पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना पर प्रभाव पड़ सकता हो।

i. मलेशिया के रास्ते चीन के उद्गम वाली संबद्ध वस्तु का निरंतर पाटन

77. चीन की उद्गम वाली संबद्ध वस्तु के पाटन की जांच के लिए जिसमें आगे और वृद्धि की संभावना हो सकती हो, प्राधिकारी ने भारत को चीन जन. गण. और मलेशिया से क्षति अवधि में आयातों की मात्रा के रूझानों की जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन पर शुल्क लागू होने के बाद चीन के आयातों में गिरावट आई है। इसी के साथ मलेशिया से आयात मात्रा में पाटित कीमतों पर भारी वृद्धि हुई है। प्राधिकारी ने प्रथमदृष्ट्या यह माना है कि चीन कथित रूप से मलेशिया के रास्ते संबद्ध वस्तु के निर्यात द्वारा मौजूदा शुल्क की प्रवंचना कर रहा है। और उन्होंने फा. सं. 7/01/2023-डीजीटीआर दिनांक 21 फरवरी, 2023 के माध्यम से प्रवंचन रोधी जांच शुरू की है। इसके अलावा, समानांतर प्रवंचनारोधी जांच में प्राधिकारी के दिनांक 7 जून, 2023 के अंतिम जांच परिणाम के माध्यम से यह निर्धारित किया गया था कि चीन के उत्पादक मलेशिया के रास्ते संबद्ध वस्तु के आयात द्वारा मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की प्रवंचना कर रहे हैं।

78. प्राधिकारी ने नोट किया कि मलेशिया और चीन से वर्तमान में संचयी आयात मूल जांच की पीओआई के दौरान इन देशों से आयात के स्तर से अधिक हैं। संबद्ध वस्तु के पाटन के लिए भारतीय बाजार को लक्ष्य बनाने की चीन के उत्पादकों की प्रबल इच्छा चीन के निर्यातकों के लिए भारतीय बाजार के महत्व को दर्शाती है। अत: प्राधिकारी मलेशियाई आयातों को चीन की मूलता के आयात मानते हैं और नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान भारत में चीन के उद्गम की संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है।

ii. चीन में उत्पादकों की भारी संख्या और उत्पादन क्षमताएं

79. रिकार्ड में उपलब्ध सूचना से यह नोट किया गया है कि चीन में फिशिंग नेट के भारी संख्या में उत्पादक हैं। यह दावा किया गया है कि इन उत्पादकों के पास अनेक उत्पादन लाइनों के साथ भारी उत्पादन क्षमताएं उपलब्ध हैं जो उनके घरेलू बाजार में आपूर्ति के लिए पर्याप्त से अधिक हैं। केवल तीन चीनी उत्पादकों की ज्ञात उत्पादन क्षमताएं 10,000 एमटी तक हैं। चीन में उत्पादकों की भारी संख्या पर विचार करते हुए यह माना गया है कि उत्पादकों के पास समूची भारतीय मांग पर कब्जा करने के लिए भारी क्षमताएं मौजूद होंगी।

क्र. सं.	उत्पादक का नाम	उत्पादन क्षमता (टन/वर्ष)
1	जिनघाई फिशिंग टेकल कं .लि .	
	i) मोनोफिलामेंट फिशिंग नेट	500
	ii) मल्टीफिलामेंट फिशिंग नेट	250
2	तियानजी फिशिंग टेकल कं.लि .	
	iii) मोनोफिलामेंट फिशिंग नेट	800
	iv) मल्टीफिलामेंट फिशिंग नेट	1000
3	झेजियांग हैलम रोप एंड नेट कं .लि .	8000

स्रोत: यूनीवे सोर्सिंग[1]

iii. तीसरे देशों को चीन के निर्यातों में वृद्धि और उच्च निर्यातोन्मुखता

80. चीन के निर्यातकों की उच्च निर्यातोन्मुखता की जांच के लिए प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के एचएस कोडों के आधार पर चीन से तीसरे देशों को निर्यात की मात्रा पर विचार किया है। यह नोट किया गया है कि 2016 से 2022 तक तीसरे देशों को चीन से निर्यात की मात्रा में वृद्धि हुई है। चीन द्वारा किए गए निर्यातों की मात्रा भारतीय मांग के चार गुना से अधिक है।

विवरण	**यूओएम**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
निर्यात	टन	71,516	77,044	76,448	85,148	87,524	97,271	90,338

स्रोत:ट्रेड मैप

81. यह भी देखा गया है कि चीन में उत्पादक अपने अधिकांश उत्पादन का घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध सूचना के आधार पर तीसरे देशों को निर्यात कर रहे हैं।

क्र.सं.	**उत्पादकनिर्यातक/ का नाम**	**निर्यातोन्मुखता (कुल उत्पादन का %)**	**प्रमुख निर्यात बाजार**
1	वेन्झोऊ जिनघाई फिशिंग टेकल कं. लि.	70%	
2	रवि इंटरनेशनल	50%	यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, जापान, अफ्रीका, ब्राजील, स्पेन, जर्मनी, चिली
3	तियानजी फिशिंग टेकल कं.लि .	90%	ब्राजील, डेनमार्क, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया

स्रोत: यूनीवे सोर्सिंग[2]

iv. चीन में उत्पादकों द्वारा क्षमता का विस्तार

82. भारतीय उद्योग ने यह साक्ष्य दिया है कि चीन में कुछ उत्पादक अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए आगे और निवेश करके तथा अपनी सुविधाओं को नया बनाकर अपनी सुविधाओं का विस्तार करने पर फोकस कर रहे हैं। रिकार्ड में प्रस्तुत साक्ष्य से यह नोट किया जाता है कि रिच फिशिंग/मरीन एंड हैपी सी (सुझोऊ) जैसी कंपनियों को फिशिंग नेट का अपना उत्पादन और निर्यात बढ़ाते हुए देखा गया है। इससे चीन की मौजूदा उच्च क्षमता में और वृद्धि होगी।

---

[1] स्रोत: https://uniway-sourcing.com/china/fishing-net-manufacturers-china/

[2] तदेव

v. तीसरें देशों में चीन के पाटित आयातों की मात्रा

83. प्राधिकारी ने तीसरे देशों को चीन से निर्यातों पर विचार किया है और 2021 तथा 2022 की अवधि के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित किया है। यह नोट किया जाता है कि चीन के उत्पादक पाटित कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा का निर्यात कर रहे हैं जो भारत में मौजूदा मांग के कई गुना है। तीसरे देश को चीन से भारतीय मांग के संबंध में पाटित आयातों की मात्रा का प्रतिशत 2020-21 में 531 प्रतिशत और 2022 में 423 प्रतिशत रहा है।

क्र.सं.	कैलेंडर वर्ष	देश	यूओएम	तीसरे देश को पाटित निर्यात	तीसरे देश को कुल निर्यात	पाटित निर्यात का %	भारतीय मांग के संबंध में पाटित निर्यात	भारतीय मांग (वित्तीय वर्ष)
1	2021	चीन	एमटी	96,427	97,271	99%	414%	18,162
2	2022	चीन	एमटी	78,309	90,338	87%	423%	18,521

स्रोत:ट्रेड मैप (जनवरी –दिसंबर की अवधि)

vi. भारतीय बाजार की आकर्षकता

84. प्राधिकारी ने चीन से तीसरे देशों में उन आयातों पर विचार किया है जिन्हें उस कीमत से कम कीमत पर किया गया जिस पर भारत को वस्तु का निर्यात हुआ है। यह देखा गया है कि चीन से तीसरे देशों से निर्यात का 343 प्रतिशत और 358 प्रतिशत क्रमश: 2021 और 2022 वर्ष में भारत को निर्यात कीमत से कम कीमत पर हुआ है।

क्र.सं.	कैलेंडर वर्ष	देश	यूओएम	भारत को कीमतों से कम कीमत पर निर्यात	तीसरे देश को कुल निर्यात	भारतीय मांग के संबंध में मूल्य आकर्षक मात्रा	भारतीय मांग (वित्तीय वर्ष)
1	2021	चीन	एमटी	62,249	97,271	343%	18,162
2	2022	चीन	एमटी	66,333	90,338	358%	18,521

स्रोत: ट्रेड मैप

vii. तीसरे देशों को क्षतिकारी निर्यात

85. प्राधिकारी ने चीन से तीसरे देश के क्षतिकारी निर्यातों के संबंध में सूचना पर विचार किया है। यह देखा गया है कि तीसरे देशों को चीन से निर्यातों की अधिकांश मात्रा निर्धारित क्षतिरहित कीमत से कम पर निर्यात की गई है। चीन द्वारा कुल निर्यातों के संबंध में किए गए क्षतिकारी निर्यात 2021 में 77 प्रतिशत और 2022 में 63 प्रतिशत रहे हैं।

क्र.सं.	कैलेंडर वर्ष	देश	यूओएम	तीसरे देश को क्षतिकारी निर्यात	तीसरे देश को कुल निर्यात	क्षतिकारी निर्यातों का %	भारतीय मांग के संबंध में क्षतिकारी निर्यात	भारतीय मांग (वित्तीय वर्ष)
1	2021	चीन	एमटी	75,146	97,271	77%	414%	18,162
2	2022	चीन	एमटी	57,132	90,338	63%	308%	18,521

स्रोत: ट्रेड मैप

झ. पाटन और क्षति की संभावना संबंधी निष्कर्ष

86. पाटन और क्षति की संभावना से संबंधित मापदंडों की जांच दर्शाती हैं कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से काफी कम कीमत पर हुए हैं। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद चीन के उद्गम के आयातों में घरेलू उद्योग पर काफी अधिक ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव डाला है। यह भी देखा गया है कि चीन के उत्पादक काफी निर्यातोन्मुखी हैं और उनके पास काफी अधिक क्षमताएं हैं। निर्यातक तीसरे देशों को पाटित कीमतों और घरेलू उद्योग के लिए क्षतिकारी कीमतों पर निर्यात करते हैं। यह नोट किया जाता है कि चीन के निर्यातक पाटित और क्षतिपूर्ण कीमतों पर तीसरे देशों को संबद्ध वस्तुओं के एक बड़े हिस्से का निर्यात कर रहे हैं ।

इसके अलावा, तथ्य यह है कि चीन पीआर के उत्पादक तीसरे देशों को पाटित कीमतों पर वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं और साथ ही मलेशिया के माध्यम से संबद्ध वस्तुओं का निर्यात करके मौजूदा शुल्कों को दरकिनार कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि यह दर्शाता है कि भारतीय बाजार मूल्य आकर्षक है और शुल्कों को समाप्त करने की संभावना है। भारतीय बाजार में पाटित और क्षतिकारक निर्यातों को तीव्र करना जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। अत: प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना है।

अ. भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे

अ.1. अन्य हितबद्ध के विचार

87. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

अ.2. घरेलू उद्योग के विचार

88. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. भारतीय उद्योग काफी बिखरा हुआ, असंगठित और एमएसएमई की श्रेणी में आता है जिससे बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता है।

ii. अधिकांश फिशिंग नेट उत्पादक मालिक द्वारा चालित कंपनियां हैं जिनमें तकनीकी विशेषज्ञता, अवसंरचना का अभाव है तथा सीमित संख्या में कर्मचारी अनेक कार्य करते हैं।

iii. फिशिंग नेट के उत्पादक आमतौर पर छोटे हैं और औसतन प्रत्येक कंपनी कुल भारतीय उत्पादन में 0.5 से 1 प्रतिशत का योगदान देती हैं। पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद पाटित आयातों की लगातार उपस्थिति से उनके प्रचालनों में गिरावट आई है और घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का अल्प उपयोग कर रहा है।

iv. एमएसएमई कंपनी के लिए अपने सुविधाओं को चलाते रहने के लिए लाभ अनिवार्य और महत्वपूर्ण हैं। मौजूदा पाटनरोधी शुल्क से उद्योग को अस्तित्व में रहने में मदद मिली है। किंतु मलेशिया से चीनी उद्गम के पाटित आयातों की निरंतर मौजूदगी उनकी लाभप्रदता और अन्य कीमत मापदंडों को प्रभावित कर रही है। शुल्क की अवधि नहीं बढ़ाने से चीन से पाटन पुन: शुरू हो जाएगा जिससे यह कंपनियां बंद हो जाएंगी।

v. फिशिंग नेट विनिर्माता तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास केंद्रित हैं जिससे लगभग 40,000 लोगों को समग्र आजीविका मिलती है और मछुवारा समुदाय के 40,000 परिवारों को रोजी-रोटी मिलती है जो अपनी आजीविका के लिए समुद्र तट और समुद्र पर निर्भर हैं। पिछड़े समुदाय के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए इन लोगों को सहायता देना आवश्यक है।

vi भारतीय उद्योग के कर्मचारियों में अधिकांशत: महिलाएं शामिल हैं जो कुल कामगारों का लगभग 60 प्रतिशत हैं। ये कारखाने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार का अवसर देते हैं।

vii. भारतीय उद्योग द्वारा निर्मित फिशिंग नेट में आगे और बदलाव अपेक्षित है जिसे मछुवारा समुदाय द्वारा मछली पकड़ने में प्रयोग से पहले किया जा सकता है। टाइंग, नोटिंग, नेट के किनारों पर भार लगाने, रस्सियां जोड़ने आदि के बाद पीयूसी से बनाए गए कास्ट नेटों के निर्माण में काफी अधिक श्रमिक शामिल होते है।

viii. मछुवारा समुदाय की बस्तियां अनेक छोटे व्यवसायों की सहायता करती हैं जो उनकी दैनिक जरूरतों के लिए आवश्यक सामग्री देते हैं। ये व्यवसाय समुदाय को अपने मुख्य कार्य अर्थात मछली पकड़ने में मदद करते हैं। क्षेत्र के आसपास कोई अन्य स्थापित उद्योग नहीं है जो एक वैकल्पिक रोजगार प्रदान कर सके और ये लोग मछुआरा समुदाय से संबंधित हैं और वे मछली पकड़ने के जाल उद्योग द्वारा उत्पन्न रोजगार पर निर्भर हैं।

ix. पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने से विशेष रूप से कीमत मापदंडों में उद्योग के निष्पादन में गिरावट पर रोक लगेगी और इससे घरेलू उत्पादक व्यवहार्य और प्रतिस्पर्धी बने रह पाएंगे।

x. एक प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग जो उचित कीमत के आयातों के मुकाबले उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने में सक्षम हो, उपभोक्ताओं के हित में है। यदि मौजूदा शुल्क समाप्त हो जाता है तो ये एमएसएमई कंपनियां समाप्त हो जाएंगी। बाजार में घरेलू उत्पादन की मौजूदगी से ही कीमत उचित और प्रतिस्पर्धी बनी रहेगी।

xi. प्रयोक्ता उद्योग पर शुल्क का कोई प्रभाव नहीं है। घरेलू उद्योग के पास कोई समर्पित आपूर्ति मार्ग नहीं है और वह अपनी वस्तु की आपूर्ति के लिए व्यापारियों पर निर्भर है। व्यापारी कम कीमत वाले आयातित फिशिंग नेट को खरीदते हैं और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत कीमत के बराबर तुलनीय बाजार कीमत पर उसे बेच देते हैं। तथापि, व्यापारी शुल्क को खपाने के बाद अत्यधिक उच्च लाभ कमा रहे हैं।

xii. पाटनरोधी शुल्क भारतीय उद्योग के लिए कोई संरक्षण नहीं है बल्कि संबद्ध देश में उत्पादकों द्वारा लायी गई किसी व्यापार विकृति को हटाकर समान अवसर बनाने के उद्देश्य से कीमत सुधार का एक साधन है।

xiii. फिशिंग नेट कारखाना न्यूनतम निवेश अर्थात लगभग 1-1.25 करोड़ (आज के अनुसार) प्रत्येक की लागत से 2-3 मशीनों के साथ स्थापित किया जा सकता है। प्रत्येक मशीन को चलाने में 10 लोगों को जरूरत होती है और 3 मशीनों वाली कंपनी इस समुदाय के 30 लोगों को रोजगार प्रदान कर सकती है।

xiv. चीन में उत्पन्न होने वाले और चीन और मलेशिया दोनों के माध्यम से निर्यात किए जाने वाले माइक्रो डेनियर फिशनेट की भारी मात्रा में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक हैं जो मछली पकड़ने में अपने पहले उपयोग के बाद क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और समुद्र और मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र दोनों को प्रदूषित कर रहे हैं। ये प्लास्टिक के रेशे और कण अलकनंदा नदी में मछलियों के पेट में शोधकर्ताओं द्वारा पाए गए जो माइक्रो प्लास्टिक पाए गए।

xv. भारतीय फिशनेट निर्माता 210 डेनियर और उससे अधिक (0.16 मिमी) के आकार वाले नायलॉन-6 फिशनेट/फिशनेट यार्न का उत्पादन कर रहे हैं जो पिछले तीन से चार दशकों से फिशनेट के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक है। इस विनिर्देशन का अनुसरण यूएसए, यूके, ईयू और अफ्रीकी देशों जैसे देशों द्वारा भी किया जाता है। हालांकि, चीन और मलेशिया से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद सब-स्टैंडर्ड फिशनेट हैं जिनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम होती है जो इसके पहले उपयोग में ही टूट जाती है।

xvi. शुरू किए गए मछली पकड़ने के जालों की तुलना में मछलियों द्वारा माइक्रो डेनियर फिशनेट आसानी से नहीं देखे जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं और कम समय में पैसा बनाने का प्रलोभन दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ओवरफिशिंग होती है। इससे मछली के स्टॉक में गिरावट आती है और पारंपरिक मछुआरों की आजीविका प्रभावित होती है।

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

89. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की थी। प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क से उनके प्रचालनों पर संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना देने के लिए उपभोक्ताओं हेतु एक प्रश्नावली भी विहित की थी। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की प्रतिस्थापनीयता, स्रोत बदलने की उपभोक्ताओं की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, ऐसे कारक जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगने पर नई स्थिति में समायोजित होने में तेजी या देरी होने की संभावना हो, संबंधी सूचना मांगी थी। तथापि, घरेलू उद्योग के अलावा किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इसके संबंध में कोई टिप्पणी या अनुरोध प्रस्तुत नहीं किए हैं।

90. संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादक एमएसएमई श्रेणी के हैं जो बिखरा हुआ है और असंगठित है। यह अनिवार्य है कि एमएसएमई उद्योग अपनी अवसंरचना को चालू रखने के लिए लाभप्रदता का कतिपय स्तर बनाये रखे। शुल्क की अवधि बढ़ाने से विशेष रूप से कीमत मापदंडों के अनुसार उनके निष्पादन में सुधार होगा। शुल्कों से उचित कीमत के आयातों की मौजूदगी में उपभोक्ताओं को उत्पाद की आपूर्ति करने हेतु के प्रतिस्पर्धी घरेलू उद्योग बनाये रखने में भी मदद मिलेगी।

91. न्यूनतम निवेश और रोजगार के साथ मछली पकड़ने के जाल की निर्माण इकाई स्थापित की जा सकती है और इससे भारत में लघु व्यवसाय क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। बड़ी संख्या में भारतीय निर्माता सामूहिक रूप से देश भर में लगभग 40,000 कर्मचारियों और बदले में उनके परिवारों का समर्थन करते हैं। उद्योग में प्रमुख कार्यबल महिलाएं हैं जो कुल कार्यबल का लगभग 60% है। मछली पकड़ने के जाल प्रतिष्ठान उनके सशक्तिकरण और वित्तीय स्वतंत्रता के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करते हैं। कई छोटे व्यवसाय जैसे रेस्तरां, किराना और कपड़े की दुकानें आदि भी मछली पकड़ने के जाल समुदाय पर निर्भर हैं जो मछली पकड़ने के जाल निर्माताओं पर निर्भर हैं।

92. भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों के कारण कम नहीं होगी। विशेष रूप से तब जबकि पाटनरोधी शुल्क की राशि को घरेलू उद्योग की क्षति की भरपाई के लिए आवश्यक राशि तक सीमित रखा जाए। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लगाने से पाटन की प्रथाओं से अर्जित अनुचित लाभ समाप्त होंगे। घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट पर रोक लगेगी और उपभोक्ताओं के संबद्ध वस्तु के व्यापक विकल्प उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि घरेलू उद्योग उचित कीमत पर व्यवहार्य बना रहे । ऐसा नहीं होने पर प्रयोक्ता लगातार पाटित आयातों पर निर्भर होते जाएंगे।

ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

93. प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद निर्यातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किए गए हैं।

ट.2. घरेलू उद्योग के विचार

94. प्रकटन विवरण के जारी होने के बाद घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

i. चीन के मूल के और भारत में चीन और मलेशिया से दोनों से निर्यातित माइक्रो डेनियर फिशनेट की भारी मात्रा सिंगल यूज प्लास्टिक की है जो पहली बार फिशिंग करने पर क्षतिग्रस्त हो जाती है और समुद्र तथा मीठे जल दोनों के वातावरण को प्रदूषित करती है। प्लास्टिक की यह फाइबर और टुकड़े शोधकर्ताओं द्वारा अलकनंदा नदी में मछलियों की आंतों में पाये गये हैं जो माइक्रो प्लास्टिक थे।

ii. भारतीय फिशनेट विनिर्माता 210 डेनियर और उससे अधिक (0.16 एमएम) के आकार वाले नायलान – 6 फिशनेट/फिशनेट यान का उत्पादन करते हैं जो पिछले तीन से चार दशक। इस विनिर्देशन का अनुसरण यूएसए, यूके, ईयू और अफ्रीकी देशों जैसे देशों द्वारा भी किया जाता है। हालांकि, चीन और मलेशिया से निर्यात किए जाने वाले उत्पाद सब-स्टैंडर्ड फिशनेट हैं जिनकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कम होती है जो इसके पहले उपयोग में ही टूट जाती है।

iii. शुरू किए गए मछली पकड़ने के जालों की तुलना में मछलियों द्वारा माइक्रो डेनियर फिशनेट आसानी से नहीं देखे जा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी जाती हैं और कम समय में पैसा बनाने का प्रलोभन दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ओवरफिशिंग होती है। इससे मछली के स्टॉक में गिरावट आती है और पारंपरिक मछुआरों की आजीविका प्रभावित होती है।

iv. समानांतर प्रवंचनारोधी जांच के प्रकटन विवरण से निकाले गए निष्कर्ष में चीन के उत्पादकों द्वारा शुल्क प्रवंचना दर्शाई गई है। वर्तमान में मौजूदा शुल्क को जोड़कर फिशिंग नेट के चीन के प्रत्यक्ष आयातों की पहुंच कीमत मलेशिया से प्रवंचित फिशिंग नेट की तुलना में अधिक है। शुल्क समाप्त होने से चीन के आयात मलेशिया से आयातों की तुलना सस्ते हो जाएंगे।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

95. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के पश्चात किए गए अनुरोधों की जांच की है और यह नोट करते हैं कि टिप्पणियां दोहराव हैं जिनकी प्रकटन विवरण के संगत पैराओं में पहले ही उपयुक्त ढंग से जांच और पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है।

ठ. निष्कर्ष और सिफारिशें

96. दिए गए तर्कों, प्राधिकारी के समक्ष ऊपर यथा दर्ज दी गई सूचना, किए गए अनुरोध और उपलब्ध कराये गये तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा पाटन तथा घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने की संभावना के उक्त विश्लेषण के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि :

i. आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग हैं और आवेदन नियमावली के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ii. संगत देश से प्रत्यक्ष रूप से और मलेशिया के जरिए प्रत्यक्ष रूप से पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है। पाटन और क्षति मार्जिन सकारात्मक हैं।

iii. चीन जन. गण. से प्रत्यक्ष पाटित आयातों की मात्रा में पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद गिरावट आई है। तथापि, क्षति अवधि के दौरान मलेशिया से चीन के उद्गम वाले आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।

iv. आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है। मलेशिया से चीन के उद्गम वाले आयातों की मौजूदगी से कीमतों पर पर्याप्त ह्रासकारी/न्यूनकारी प्रभाव पड़ा है।

v. क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री और घरेलू उद्योग और भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में समग्र रूप से गिरावट आई है।

vi घरेलू उद्योग के कीमत मापदंडों में पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद भी सुधार नहीं हुआ है।

vii. तथ्य यह है कि चीनी मूल के पाटित आयात शुल्क लगाए जाने के बाद भी मलेशिया के माध्यम से जारी रहे, इस बात की प्रबल संभावना दर्शाती है कि यदि शुल्कों को समाप्त कर दिया जाता है तो संबद्ध आयातों की मात्रा बहुत अधिक दर और बहुत कम कीमतों पर बढ़ जाएगी।

viii. यह देखा गया है कि तीसरे देशों को संबद्ध देश से लगभग समस्त निर्यात पाटित और क्षतिकारी कीमत पर हुए हैं।

ix. तीसरे देशों को संबद्ध देश से निर्यात की कीमत भारत को निर्यात कीमत से वास्तविक रूप से कम है जो यह दर्शाता है कि शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना है। तदनुसार, प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि भारतीय बाजार चीन के उत्पादकों को लाभकारी कीमत उपलब्ध कराता है।

x. पाटनरोधी शुल्क की अनुपस्थिति में घरेलू उद्योग की कीमतों पर आयातों का प्रतिकूल प्रभाव काफी अधिक होगा।

xi. एमएसएमई उद्योग के लिए लाभ अनिवार्य हैं और यदि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी शुल्क के बिना संबद्ध वस्तु की आयात कीमत के बराबर कीमत पर बिक्री करने को मजबूर होना पड़ा तो उसे वित्तीय घाटा, नकद घाटा और निवेश पर ऋणात्मक आय को झेलना पड़ेगा।

xii. भारतीय बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और पाटनरोधी शुल्क जारी रखने से प्रयोक्ता उद्योग अपनी जरूरतों से वंचित नहीं होगा। अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क का प्रभाव मामूली है और इसलिए शुल्क को जारी रखना जनहित में है।

97. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई और सभी हितबद्ध पक्षकारों के अधिसूचित की गई तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना के पहलुओं के संबंध में सूचना देने का पर्याप्त अवसर दिया गया था।

98. इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क को समाप्त होने दिया जाता है तो पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी का विचार कि संबद्ध देश से पीयूसी के आयातों पर शुल्क जारी रखना आवश्यक है। प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मौजूदा राशि का जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं जिससे संबद्ध देश से पाटन और क्षति की संभावना का समाधान और न्यूनीकरण होगा। अत: प्राधिकारी सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 20/2018-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 10 अप्रैल 2018 के माध्यम से लागू मौजूदा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। ऐसे उत्पादक जिन्होंने मूल जांच में भागीदारी की थी, परंतु इस समीक्षा जांच में उत्तर नहीं दिया है, को असहयोगी माना गया है।

99. अत: प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम सात में इंगित राशि के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क के जारी रखने की सिफारिश करना उचित और आवश्यक समझते हैं। अत: यहां यथा निर्धारित इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम सात में इंगित राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से आगामी पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए लागू किए जाने की सिफारिश की जाती है।

100. इसके अलावा, अधिसूचना संख्या 7/01/2023-डीजीटीआर, दिनांक 07 जून 2023 के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अंतिम निष्कर्षों के संबंध में चीन पीआर से मछली पकड़ने के जाल के आयात पर मौजूदा एंटी-डंपिंग शुल्क के विस्तार की सिफारिश की गई है। मलेशिया, प्राधिकरण का मानना है कि मलेशिया से मछली पकड़ने के जाल के आयात पर पाटनरोधी शुल्क को पांच (5) वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ाया जाना आवश्यक है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/उपशीर्ष ***	वस्तुओं का विवरण	मूलता का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	माप की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5608 1110	फिशिंग नेट	चीन जन .गण .	चीन जन. गण. सहित कोई देश	कोई	2.19	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर
2	5608 1110	फिशिंग नेट	चीन जन. गण. से इतर कोई	चीन जन.गण .	कोई	2.19	कि.ग्रा.	यूएस डॉलर

***** नोट –**

i. फिशिंग नेट केवल नायलान से निर्मित हों – चाहे 100 प्रतिशत या मिश्रित । यदि मिश्रित हों तो इसके दायरे में भार के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे अधिक नायलान वाले फिशिंग नेट शामिल हैं।

ii. विचाराधीन उत्पाद में एचडीपीई फिशिंग नेट शामिल नहीं हैं।

iii. इस उत्पाद का समर्पित सीमा शुल्क वर्गीकरण नहीं है। इस उत्पाद को एचएस कोड, 560811 10 के अंतर्गत आयातित किया जा रहा है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और उत्पाद के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

101. इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम की धारा 3, 3क, 8ख, 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल होंगे।

ड. आगे की प्रक्रिया

102. इस अंतिम जांच परिणाम में नामित प्राधिकारी के निर्धारण/समीक्षा के खिलाफ अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की जा सकती है।

अनंत स्वरूप, प्राधिकृत अधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFIACTION

New Delhi, the 8th June, 2023

FINAL FINDINGS

Case No. AD (SSR) - 11/2022)

Subject: Sunset review investigation of the anti-dumping duty imposed on imports of "Fishing Net" originating in or exported from China PR.

F. No. 7/22/2022-DGTR .—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred to as 'the Rules' or 'AD Rules') thereof –

The Designated Authority (hereinafter referred to as "Authority") received an application from the Indian Fishnet Manufacturers Association ((hereinafter referred to as the "applicant" or the "applicant association") seeking initiation of a sunset review for extension of the anti-dumping duty imposed on imports of the fishing net (hereinafter also referred to as the 'subject goods' or 'product under consideration' or 'PUC'), originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the 'subject country').

A. BACKGROUND OF THE CASE

Original Investigation

1. The original investigation concerning imports of "fishing net" from China PR and Bangladesh was initiated by the Authority vide Notification No. 14/44/2016-DGAD, dated 31st March 2017. Definitive anti-dumping duty was recommended vide Notification No. 14/44/2016-DGAD, dated 05th March 2018 and was imposed vide Customs Notification No. 20/2018-Customs (ADD), dated 10th April 2018. Pending the conclusion of the present review, the anti-dumping duty was extended vide Customs Notification No. 01/2023-Customs (ADD) on China PR, dated 06th January 2023, for 3 months. Further, an additional extension of 2 months was granted to the existing anti-dumping duties on China PR vide Customs Notification No. 03/2023-Customs (ADD), dated 06th April 2023, and the said duties are due to expire on 09th September 2023. The scope of the present review covers all aspects of the final findings Notification No. No. 14/44/2016-DGAD, dated 05th March 2018.

Present Sunset Review Investigation

2. M/s Indian Fishnet Manufacturers Association (IFMA) (hereinafter referred to as the "applicant" or the "applicant association") filed a duty-substantiated application before the Authority, on behalf of the domestic industry, in accordance with Section 9A (5) of the Act read with Rule 23 of the Rules for extension of existing anti-dumping duties on imports of "fishing net" originating in or exported from China PR and Bangladesh. After *prima facie* examination of the facts, the Authority initiated a Sunset Review (SSR) investigation vide Notification No. 7/22/2022-DGTR dated 30th Sept 2022 to review the need for the continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from China PR. In the case of Bangladesh, the Authority, in the above-mentioned initiation notification, noted that the basis of evidence on record neither show any export of fishing net from Bangladesh during the injury period nor was there adequate evidence to show the likelihood of dumping should the existing anti-dumping duties cease to exist. Therefore, the Authority considered only China PR as the subject country for the present investigation.

Anti-circumvention Investigation

3. IFMA also filed a duly substantiated application against the alleged imports of Chinese origin subject goods through Malaysia. Pursuant to the same, the Designated Authority initiated an anti-circumvention investigation concerning alleged circumvention via Malaysia of anti-dumping duty imposed on imports of "fishing net" originating in or exported from China PR vide Notification No.7/01/2023-DGTR, dated 21st February 2023. The Authority after a detailed examination concluded that fishing net imported from Malaysia are circumventing the measures imposed on subject goods from China PR. The Authority thus recommended the extension of existing anti-dumping duties on subject goods from China PR to imports of fishing net from Malaysia vide Notification No. 7/01/2023-DGTR, dated 07th June 2023.

B. PROCEDURE

4. The procedure, as described below, has been followed with regard to the investigation.

   a. The Authority, *vide* Notification No. 7/22/2022-DGTR dated 30th September 2022 published a public notice in the Gazette of India, Extraordinary, initiating a sunset review anti-dumping investigation against imports of the subject goods from the subject country.

   b. The Authority forwarded a copy of the public notice to the Embassy of the subject country in India, the known producers, and exporters from the subject country, the known importers and users associations of the subject goods in India, as per the addresses made available by the applicant association. The interested parties were advised to provide relevant information and make their views known in writing within the prescribed time-limit from the date of issue of the letter.

   c. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant to the known exporters and the Embassy of the subject country in India, in accordance with Rule 6(3) of the Rules.

   d. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to it along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.

e. The Authority in order to elicit relevant information, sent questionnaires to the following known exporters of the subject goods in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

1	Chaohu Asianeps Fishing Net Manufacturing Co Ltd.	2	Anhui Leixiang Fishing Gear Co., Ltd.
3	Taizhou Winstrong Special Net Co Ltd	4	Anhui Hezhong Fishing Tackle Co., Ltd.
5	Haierc Industry Co., Limited	6	ChaohuGaolin Carton Plant
7	Weihai D&M Co., Ltd.	8	YutianGoldnets Fishery Goods Co., Ltd.
9	Quanzhou LichengLongsheng Plastic Co., Ltd.	10	Qingdao Mansheng Industry and Trade Co., Ltd
11	TaianFengli Plastics Co., Ltd.	12	DongshanYinghui Fishing Tackle Co., Ltd.
13	Fantasea Marine Co., Ltd.	14	Weihai Dafang Fishing Tackle Co., Ltd.
15	Shanghai Yong Cheng Scale Co., Ltd.	16	Yongkang Whetone Industry & Trade Co., Ltd.
17	Shanghai Sailfish Rope Net Co., Ltd.	18	Jiangsu Poly Fishing Plastic Co., Ltd.
19	Taian Double Fish Plastics Co	20	Y&X Winner Maritime Equipment Co., Ltd.
21	Newin Industry Ltd.	22	Hunan Xinhai Net Industry Co.,Ltd.
23	Changzhou Wujin Yongguang Machinery Co., Ltd.	24	Rizhao Huifeng Net Co., Ltd.
25	Nantong Shenlong Fiber Rope Co., Ltd.	26	Chaohu Victory Union Fishing Gear Co., Ltd.
27	ChangxingJianyun Bamboo Art Factory	28	ChaohuHuatai Fishing Tackle Co., Ltd.
29	Aujasen Dive Mfy.	30	Fujian Changle Hongmei Net Tool Co., Ltd.
31	LaizhouLutong Plastics Co., Ltd.	32	Chaohu Lotus Fishing Net Co., Ltd.
33	Dongguan SUNMEI Plastic Raw Material Co,. Ltd	34	Guan Honghai Fishing Tackles Co., Ltd.
35	Rongcheng Bestband Industry Co., Ltd.	36	Hebei Jiaze Net Manufacture
37	Taian Pretty Lion Light Industrial Products Co., Ltd.	38	Anhui Winta Import & Export Co., Ltd.
39	Jiangsu Huayuan New Material Co., Ltd.	40	WuchuanTaifeng Trading Co., Ltd.
41	Pingxiang Tiger Industrial Ceramics Co.,Ltd	42	Claymore Machineries And Tools Limited
43	Poly Marine & Engineering Co., Ltd.	44	Zhu Wuyong
45	Wuhu S.H.Z Industrial Fabric Co., Ltd.	46	Wuxi Taiyu Net & Twine Mfg. Co., Ltd.
47	FuyangChenyi Arts & Crafts Co., Ltd.	48	Anhui Sun Netting Tackle Co.,Ltd
49	Uniland Sporting Ware Mfg., Ltd	50	Wintech Group Co., Ltd.
51	Yangzhou Xinyu TextileEquipment Co., Ltd.	52	Weihai Haihe Imp. & Exp. Co., Ltd.
53	Changzhou Aoyuan Textile Machinery Co., Ltd.	54	Ningbo Shunyu Nets Manufacture Co., Ltd
55	Jiangsu Jianghai Machinery Co., Ltd.	56	Nantong Aoli Netting Industrial Co., Ltd.
57	Changzhou City Chang Hui Import and Export Co., Ltd.	58	Changzhou Jinzhi Plastic Net Supplies Co., Ltd.
59	Aditya Trading Co., Ltd	60	Ren Yi Fishing Co., Ltd.
61	Shantou Qile Silk Screen Industry Co., Ltd.	62	Shantou Sanye Fishing Utensils Factory
63	Brother Sports Co., Ltd.	64	Weihai Yizhang Metal Products Co., Ltd.
65	Zhangjiagang Haitia Netting Industrial Co., Ltd.	66	Shan County Tianda Plastic Net Co., Ltd.
67	Hangzhou Hanxiong Home Textile Co., Ltd.	68	Shantou Xiangfa Fishing Tackle Co., Ltd.
69	SSS Hardware International Trading Co., Ltd.	70	Changzhou WujinXinhui Netting Factory
71	Ningbo Victech Sporting Goods Co., Ltd.	72	ChaohuHuifeng Fishing Co., Ltd.
73	Qidong Xuan Shang International Trade Co., Ltd.	74	Zhanjiang Developing Zone Yangfan Mesh Industry Co., Ltd.
75	Innomax Ltd	76	Shantou Qile Silk Screen Co. Ltd.
77	Zhangjiagang Victor Textile Machinery Co., Ltd.	78	Ningbo Meike Leisure Products Co., Ltd.
79	Weihai Swift Yacht Co., Ltd.	80	Nantong NewtecTextile &Chemical Fiber Co., Ltd
81	Hangzhou Jinhui Knitting Co., Ltd.	82	Fulri Fishing Tackle Co., Ltd.
83	Hangzhou Qinghong Rubber & Plastic Footwear Co., Ltd	84	Fulri Fishing Tackle Co., Ltd.
85	Fuzhou Haiber Trade Co., Ltd.	86	Dalian New City Import And Export Co., Ltd.
87	ChangzhouChenwei Machinery Co., Ltd.	88	Haian Huwei Net Co., Ltd.
89	TianchangFushi Safety Products Co., Ltd.	90	Chaohu Shenlong Fishing Gear Co., Ltd.
91	National Products (Group) Co., Ltd.	92	Hailai Nylon Netting Company
93	Jiangsu Xiangchuan Rope Technology Co., Ltd.	94	Taian Prettylion Light Industrial Products Co, Ltd
95	Dollar Mainland Electronics Limited.	96	Taian Best Corporation Ltd.
97	Jovial Travel-Stuff Co., Ltd.	98	Weihai Bota Fishing Tackle Co., Ltd.
99	Zibo Xuanang FRP Co., Ltd.	100	Wenzhou Ocean-Pioneer Fishing Industries Co., Ltd.

101	Shandong Yuyuan Group Co., Ltd.	102	JieshouJianggongle Fishing Tools Co., Ltd.
103	Dongguan City Bestway Sports Goods Co., Ltd.	104	Beijing HirunHengda Technic Co., Ltd.
105	Xiamen Nee & Co. Ltd	106	Zhongying Leader Leisure and Craft Manufacturer
107	LaizhouHuanqiu Rope & Belt Factory	108	Xinhai Net and Rope Manufacture Co., Ltd.
109	Dafeng City Xinyu Air Compressor Manufacturing Co., Ltd.	110	Hopewell Plastic Co., Ltd.
111	Nantong Sea Melody Industrial Co., Ltd.	112	Hangzhou Falai Fishing Tackle Co., Ltd.
113	Qingdao Leading Link Trading Co., Ltd.	114	Changzhou Shunsheng Nets Weave Co. Ltd.
115	Zhanjiang Wu Zhou Electron Co., Ltd.	116	Hangzhou Qiandao Lake Fishing Tackle Manufacturing Co., Ltd.
117	Zhoushan Wanshida Marine Foods Co., Ltd.	118	Lianyungang Huayang Fishing Tackle Co., Ltd.
119	Hunan Zhongtai Special Equipment Co., Ltd.	120	Zhanjiang Hongyuan Fishing Article Co., Ltd.
121	Asianeps Industrial(Fishing Net) Co.,Ltd	122	DongshanFuyong Fishery Implement Products Co., Ltd.
123	Weihai Xinghaiyuan Fishing & Netting Tackle Co., Ltd.	124	Jiwei Travelling Products Co., Ltd
125	Zhanjiang Zhum Heng Fishing Net Ltd.	126	Nantong Newtec Textile & Chemical Fiber Co.,Ltd
127	Ming Yuan Fishing Net Further Processing Factory	128	Xiamen Hong-Gi Fishing Tackle Co., Ltd.
129	Sunlee Fishing Implements Trade Company	130	Weihai Hongzhu Sports Co., Ltd.
131	Jieyang City Youyi Fishing Net Factory Co., Ltd	132	Anji Mingwang Fishing Gear Factory
133	Zhanjiang Dongni Fishing Net Manufacturing Co. Ltd	134	Sicom Shanghai Enterprises Ltd.
135	Wenzhou Xinghai Fishing Tackle Co., Ltd	136	Zhangjiagang DOIT Imp. & Exp. Co., Ltd.
137	Taizhou Sailing Fishing Net Co., Ltd	138	Long Xing Plastic Co., Ltd
139	Anhui Golden Sea Fishing Tackle Co., Ltd	140	Wuxi TaiyuNet&Twine Mfg. Co., Ltd.
141	Qingdao Datao Fishing Tackle Co., Ltd	142	Zhangjiagang Sanwei Machinery Co., Ltd.
143	Tianjin Fishing Net(Manufactory)Co., Ltd	144	BinzhouJinhui Rope Net Limited Company
145	Wenzhou Xinghai Fishing Tackle Co., Ltd.	146	Wenling Ocean Rope & Cable Co., Ltd.
147	ChaohuFangTai Fishing Gear Co., Ltd.	148	Shantou Special Economic Zone Guangao Light Industry Co., Ltd.
149	Yancheng Sunleeco Trading Co., Ltd.	150	Yantai Samhae Industry Co., Ltd.
151	ChaohuAsianeps Fishing Net Manufacturing Co., Ltd.	152	Anhui Jinchaohe Trade Co., Ltd.
153	Asianeps Industrial (Fishing Net) Co., Ltd	154	Haian Haitian Threads Co., Ltd.
155	Hunan Xinhai Net Industry Co.,Ltd.	156	China Shipbuilding Trading (Shanghai)Co,.Ltd
157	Anhui Province Anguo Fishing Tackle Co., Ltd.	158	Taian Rope Net Plastic Co., Ltd.
159	Zhanjiang Dongni Fishing Net Manufacturing Co., Ltd.	160	Tangshan Luqi Economic Trade Co., Ltd.
161	Chaohu Xiangyu Fishing Co., Ltd.	162	Binzhou Yuanhengli Import & Export Trade Co., Ltd.
163	Nantong Zhongcheng Net Co.,Ltd	164	Taixing Xudong Shipping Safety Equipments Factory
165	Shanghai Bigcarp Textile Co., Ltd.	166	GuangJin Group Co., Ltd
167	Chaohu Juchao District Great River Fishing Net Factory	168	Jiangdu City Liqiumei Sports Net Co., Ltd.

f. No exporter has participated and filed questionnaire responses in the present sunset investigation.

g. The Authority sent questionnaires to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information, in accordance with Rule 6(4) of the Rules:

1	Calcutta Fishnet Co.	2	Anchor Equipment and Spares Private Limited
3	Garware Wall Ropes Ltd.	4	Silverson Overseas Private Limited
5	D.K. Enterprises	6	M. M. Traders
7	Nautilus Aqua Systems	8	Tejasvi Exports
9	Tata Bluescope Steel Limited	10	Bothra Trading Private Limited
11	Nilkamal Limited	12	Samsung C&T India Private Limited
13	Anchor Offshore Services Ltd	14	Fountainhead Retail Private Limited
15	Dcs Hair Products (India) Private Limited	16	A-1 Fence Products Co.Private Limited
17	Ge India Industrial Private Ltd.	18	Anmol Nonwoven
19	Home Collective India Pvt. Ltd.	20	Sagar Nets
21	Garware Wall Ropes Ltd.	22	Keshav Universal

23	Planet Impex	24	V K Synthetics
25	Kamar Trading Co.(P) Ltd.	26	Saif Trading Co.
27	Ek Nisht	28	Naakwa Enterprises
29	Phoenix Trade Ventures Pvt. Ltd.	30	Garware Wall Ropes Limited
31	Packaging Associates		

h. No importer/user has participated in the present investigation.

i. A list of interested parties was published on the DGTR website. The interested parties were advised to exchange the non-confidential version of their submissions with each other through email. However, no other interested party has participated in the investigation.

j. The Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted, after due examination and such information have been considered confidential and not disclosed.

k. The period of investigation (POI) for the purpose of the present investigation is April 2021 – March 2022 (12 months). The injury period has been considered as the preceding three years, i.e., 2018-19, 2019-20, 2020-21 and the POI.

l. The applicant association filed the application based on the import data obtained from market intelligence. A request was made by the Authority to the Directorate General of Systems (DGS) to provide the transaction-wise details of imports of subject goods for the past three years, and the period of investigation. The Authority obtained transaction-wise import data from the DG systems for the injury period. The Authority has relied upon DG system data for the purpose of examining imports in this investigation.

m. Verification of the data provided by the domestic industry was conducted to the extent considered necessary for the purpose of the present investigation.

n. The non-injurious price (hereinafter referred to as 'NIP') based on the optimum cost of production and the cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and has been worked out so as to ascertain whether the present anti-dumping duty is sufficient to remove injury to the domestic industry.

o. The Authority has examined the information furnished by the domestic industry to the extent possible on the basis of guidelines laid down in Annexure III of the Rules to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would remove injury to the domestic industry.

p. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally in the oral hearing held on 01st March 2023, which was attended only by domestic Industry along with their legal representatives. The domestic industry was requested to file written submissions of the views presented in the oral hearing.

q. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making final recommendations to the Central Government to all interested parties on 1st June 2023. The interested parties were directed to file their comments on the disclosure statement by 3rd June 2023.

r. The submissions and arguments raised by the domestic industry, during this investigation, to the extent are supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been considered for this final findings.

s. The exchange rate for the POI has been taken by the Authority for the subject investigation as 1 US$: Rs.75.37.

t. "*******" in this final findings represents information furnished by an interested party on a confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Views of the domestic industry

5. The domestic industry has made the following submission with regard to the scope of the product under consideration and like article:

a. The product under consideration is 'fishing net'. Since, the present investigation is a sunset review, the product under consideration remains the same as was defined by the Authority in the original investigation. There are no developments that took place over the period.

b. The product manufactured by the domestic industry is like article to the product imported from the subject country.

c. The Authority, in the original investigation, concluded that the goods produced by the domestic industry is a like article to the goods that are imported into the domestic market.

d. There has been no development in the technology, and the product produced by the domestic industry continues to remain like article.

C.2. Views of the other interested parties

6. No submission has been made by other interested parties with regard to the scope of the product under consideration (PUC) and like article.

C.3. Examination by the Authority

7. The Product under consideration in the present investigation is "fishnet" or "fishing net". The present investigation is a sunset review investigation and the scope of the product under consideration remains the same as defined in the original investigation. The product under consideration determined in the original anti-dumping investigation is reproduced hereunder –

"7. The Product under Consideration in the present investigation is "fishnet" or "fishing net".

8. Fishing nets are devices made from fibers woven in a grid-like structure. Fishing nets are usually meshes formed by knotting a relatively thin thread. Due to the technical characteristics of nylon, nylon fishnet constitutes more than 65-70% of the total fishnet consumption world over. Present petition includes nylon fishing nets only whether 100% or blended. In case of blended, scope includes fishing nets containing 50% or more nylon by weight.

9. The product does not have dedicated customs classification. The product is being imported under HS code, 560811 10 as per the data made available to us by DGC&IS. However, customs classification is indicative only and in no way it is binding upon the product scope.

10. The PUC can be further classified into mono filament yarn net and multifilament yarn net. Monofilament net is produced using monofilament yarn, in case of multifilament net, multifilament yarn is used and the yarn is first twisted. Thereafter, even though the production process is the same and involves netting with weft & warp knotting, heat stretching, dyeing, aging, normalizing, inspection and packing; the use of monofilament net and multifilament net is in totally different areas in fishing. Monofilament nets are largely used for inland/river/lake fishing and the catches are better due to its transparency as compared to multifilament net. The life of net is however maximum of 6 months and the net cannot be repaired once damaged. Multifilament nets, on the contrary, are used for coastal/deep sea fishing to catch large fish. Life of multifilament nets is in the region of 2 to 2. 5 years and the nets can be repaired when damaged.

11. As regards HDPE fishing nets and agriculture nets, it is noted that the present investigation is against dumping of nylon fishing nets whether 100% or blended nets containing 50% or more nylon by weight. All other kinds of fishing nets or other nets are outside the scope of the present investigation."

8. This being a sunset review investigation, the scope of the PUC remains the same as it was in the original investigation.

9. The Authority notes that the subject goods are comparable to the imported goods from the subject country in terms of chemical characteristics, product specifications, technical specifications, manufacturing process & technology, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially interchangeable. Accordingly, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are 'like article' to the subject goods being imported from the subject country.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Views of the domestic industry

10. The domestic industry has made the following submissions with regard to the standing and scope of the domestic industry:

a. The application has been filed by Indian Fishnet Manufacturers Association (IFMA) on behalf of the members of the association. The fishing net industry in India falls under the MSME sector and is highly fragmented. Hence, the applicant association has filed the application on behalf of all its members adhering

to the Trade Notice 09/2021, dated 29th July 2021, issued by the Authority for simplification of the procedure for filing the application for anti-dumping and countervailing investigation by fragmented industries. The applicant association submitted that it has complied with all mandatory requirements of the said trade notice.

b. The following 10 applicant companies have provided their relevant costing and injury information for the purpose of this investigation:

i. Jasnets

ii. Sreema Filaments Pvt. Ltd.,

iii. Swastik Filaments Pvt. Ltd,

iv. Baliga Fishnets

v. Vasantham Industrial Centre

vi. Global Fishnets

vii. Vee Fishnets

viii. Indonets

ix. Kassim Nets

x. B & B Nets

c. The production by the members of the applicant association constitutes a major proportion of Indian production.

d. The applicant member companies have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any importer in India or producer/exporter from the subject country. The application has been filed with the support of all members of the association.

e. The applicant companies constitute eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and the application satisfies the requirement of standing under Rule 5(3) of the AD Rules.

f. The Indian industry in the MSME sector, is extremely fragmented, and unorganized making it vulnerable.

D.2 Views of the other interested parties

11. No submission has been made by the other interested parties with regard to the standing and scope of the domestic industry.

D.3 Examination by the Authority

12. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under:

"(b) "domestic industry " means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'domestic industry' must be construed as referring to the rest of the producers"

13. The application has been filed by IFMA on behalf of all its members. The following 10 companies have provided the requisite information for the purpose of the present investigation.

a. B & B Nets

b. Baliga Fishnets

c. Global Fishnet Works

d. Indo Fishnets

e. Jasnets

f. Kassim Nets

g. Sreema Filaments Private Limited

h. Swastik Filaments Private Limited

i. Vasantham Industrial Centre

j. Vee Fishnets

14. The Authority notes that the application was filed with the support of the members of the association under Trade Notice 09/2021, dated 29th July 2021. The Indian manufacturers of fishing net fall under the MSME sector, and the industry is highly fragmented. The ten applicant companies have neither imported the subject goods from the subject country nor are they related to any importer in India or producer/exporter from the subject country. It is further noted that the production of the applicant companies constitutes a major proportion of the total domestic production of the subject goods in India. The applicant companies are eligible domestic industry within the meaning he Rule 2(b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule5(3) of the Rules, even though standing within the meaning of Rule 5(3) is not required to be established in a sunset review initiated under Rule 23.

E. CONTINUATION OF DUMPING FROM SUBJECT COUNTRY – DETERMINATION OF NORMAL VALUE, EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

E.1. Views of the other interested parties

15. No submission has been made by the exporters/other interested parties with regard to the normal value, export price and dumping margin.

E.2 Views of the domestic industry

16. The submissions of the domestic industry with regard to the normal value, the export price, and the dumping margin, are as follows:

a. China should be considered a non-market economy, in line with the position taken by the Authority in previous cases, and by the investigating authorities in other countries. Chinese producers' costs and prices cannot be relied upon for the determination of normal value.

b. The Authority shall follow Para 1 – 6 of Annexure I for the determination of normal value only if the responding Chinese companies establish that their costs and price information is such that individual normal value and dumping margin can be determined. If the responding Chinese companies are not able to demonstrate that their costs and price information can be adopted, the Designated Authority shall reject the claim of individual dumping margin.

c. Paragraphs 1 to 6 of Annexure I of the Rules do not apply to the computation of normal value for imports from China PR, unless a producer/exporter shows sufficient evidence that he is operating under market economy conditions. As a result, the normal value for China PR has to be determined in terms of Para 7 of Annexure I of the Rules.

d. Since, the normal value could not be determined on the price or constructed value in a market economy third country for the reason that the relevant information is not publicly available, the applicant association has determined the normal value of the subject goods based on the export price of the subject goods from Thailand to India after making due adjustments.

e. The applicant association has taken the CIF price and adjusted the same for ocean freight, inland freight, marine insurance, port expenses, commission, and bank charges to determine the export price.

f. The dumping margin is not only above *de-minimis* but also significant for the subject country.

E.3. Examination by the Authority

Normal Value

17. Under Section 9A(1)(c) of the Act, normal value in relation to an article means:

i. the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

ii. when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-

(a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or

(b) the cost of production of the said article in the country of origin along With reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):

Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transhipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

18. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows:

"Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

"(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology, that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i)If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii)The importing WO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

(c) The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.

(d) Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event; the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the non-market economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector. "

19. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with the obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol requires criterion stipulated in para 8 of Annexure I of India's Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire for claiming the market economy status.

20. None of the exporters/producers in China have cooperated in the investigation. In view of the above position and in the absence of rebuttal of non-market economy presumption by any Chinese exporting company, the Authority considers it appropriate to treat China PR as a non-market economy country in the present investigation and proposes to proceed with para 7 of Annexure I of the Rules for the determination of normal value in case of China PR.

21. Para 7 of Annexure I of the Rules reads as under:

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated

authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

22. Para 7 lays down a hierarchy for the determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other country, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure 7.

23. The applicant had at the stage of initiation of this review investigation, proposed to determine the normal value on the basis of imports into India from Thailand.

24. The Authority notes the existing jurisprudence on constructing the normal value in case of a non-market economy contained in the Supreme Court judgement in *Shenyang Mastsushita S. Battery Co. Ltd. vs Exide Industries Ltd.* (Civil Appeal No. 617112003 dated 23/2/2005), Guwahati High Court judgement in *Century Plyboards (I) Ltd & Anr. vs Union of India* (W.P No. 6568/2017 dated 04/10/2018) and CESTAT, Principal Bench, New Delhi order in *Apollo Tyres Ltd. vs Union of India* (Appeal No. C1768,600,601,773,769/2005-AD-dated 9/9/2005), *Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India* (Appeal no. 52291 of 2019 dated 5th August 2020). These judgements provide directions regarding the implementation of para 7 of annexure 1 to AD rules with respect to the choice of an appropriate option, and associated obligations thereof. The Hon'ble CESTAT in the matter of *Kuitun Jinjiang Chemical Industry Co. Ltd. vs Union of India* has held that level of development would be relevant only if the domestic sale price or cost of production of a market economy third country is adopted and not when exports from a market economy third country to India is considered for determination of normal value. The Hon'ble Tribunal considered that the price in international trade is a function of demand and supply in the international market and is not affected by the level of development of the supplier country.

25. ln view of the above, the Authority considers prices from Thailand to India as normal value for the subject goods from China PR. The Authority notes that this option under para 7 to construct the normal value of the subject goods is appropriate and is representative of the normal value of the subject goods as Thailand, is a non-subject country with no investigation of anti-dumping underway or trade remedial measure in force and the volume of import in the POI is significant. The normal value so determined is comparable to the constructed normal value based on the cost of production of the domestic industry, with reasonable addition for selling, general and administrative expenses, and profits.

26. The normal value so determined is given below in the dumping margin table.

Export Price

27. ln the absence of cooperation from any producers/exporters from China PR, the Authority has determined the net export price on the basis of DG Systems data. Since this data is on CIF terms, adequate adjustments have been made to arrive at ex-factory level. The weighted average ex-factory export price as determined, is shown in the dumping margin table below.

Dumping margin

28. Considering the normal value and the export price for the subject goods, the dumping margin for the subject goods from the subject country has been determined as follows:

Sl.No.	Producers	Normal Value (US$/Kg)	Net Export Price (US$/Kg)	Dumping Margin (US$/Kg)	Dumping Margin (%)	Dumping Margin (Range %)
1	All producers/ exporters from China PR	***	***	***	***	140-150

F. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OF INJURY -ASSESSMENT OF INJURY AND CAUSAL LINK

F.1. Views of the other interested parties

29. No submissions were made by other interested parties with regard to injury and causal link.

F.2. Views of the domestic industry

30. The following submissions were made by the domestic industry with regard to injury and causal link:

a. Post imposition of duties on China PR, the Chinese exporters started circumventing the subject goods through Malaysia. The authority has initiated a circumvention investigation for the alleged circumvented imports of fishing net from Malaysia vide Notification No. 07/01/2023-DGTR, dated 21st February 2023.

b. The Indian industry falls in the MSME sector, which is extremely fragmented, and unorganised, making it vulnerable. The industry is severely injured by the dumped imports of Chinese origin coming in from China both directly and indirectly. The manufacturers in India are mostly owner-driven, lacking technical expertise, and infrastructure which run their establishments with a limited number of employees who handle multiple jobs in these companies.

c. An average manufacturer of fishing net contributes between 0.5 to 1% of the total Indian production, and their operations have declined over the injury period due to persistent Chinese-origin imports.

d. The demand for the subject goods increased throughout the injury period, including the POI.

e. Imports from China PR declined significantly throughout the injury period post imposition of duties, while Chinese-origin imports increased from Malaysia significantly over the injury period as Chinese exporters started transhipping their goods. Imports in relative terms also declined throughout the injury period.

f. The imports have continued to enter the Indian market at significant dumped prices and remain significantly lower than the selling price and the cost of production. China has been importing at prices which is more than 2 times lower than the selling price of the domestic industry.

g. Imports have been significantly undercutting the prices of the domestic industry and is likely to undercut the prices further if duties are allowed to expire.

h. The increase in the selling price of the domestic industry was disproportionate to the costs due to the existence of dumped imports.

i. Capacity increased slightly after 2019-20, while production, capacity utilization, and sales of the domestic industry declined compared to the base year.

j. Market share of dumped imports from China declined significantly over the injury period. However, market share of Chinese-origin goods from Malaysia increased significantly. These dumped imports prevented a healthy increase in the market share of the domestic industry, while share of the Indian industry as a whole declined throughout the injury period.

k. Profits, cash profits, and ROI declined over the injury period. Inventories increased more than two-fold from the base year.

l. Profits are key for MSME companies to keep their establishments running. This has declined over the injury period due to dumped Chinese origin imports and are facing a threat of shutdown again.

m. Employment and wages increased over the injury period.

n. Productivity of the domestic industry declined.

o. The dumping margin of the subject goods continues to be positive and significant despite the imposition of anti-dumping duty.

F.3. Examination by the Authority

31. Rule 11 of the Rules read with its Annexure-II thereto provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, *"... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles."*

32. The Authority has examined the various injury parameters on account of imports from the subject country before proceeding to examine the likelihood aspects of dumping and injury. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilisation sales volume, stock, profitability, net sales realisation the magnitude, and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure-II of the Rules.

33. The Authority has taken note of the various submission made by the domestic industry on injury and causal link and has analyzed the same as per the evidence on record. No other interested parties have made any submissions on injury and causal link.

F.3.1. Assessment of demand

34. The Authority has taken into consideration, for the purpose of the present investigation, the demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and all other Indian producers and imports from the subject country as per DG Systems data, and imports from all other sources.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Sales of applicant companies	MT	3,911	3,247	3,146	3,510
Trend	*Indexed*	*100*	*83*	*80*	*90*
Sales of other producers	MT	12,079	13,040	12,703	12,157
Trend	*Indexed*	*100*	*108*	*105*	*101*
Subject imports from China PR	MT	164	6	23	9
Imports from Malaysia	MT	599	988	1,885	2,533
Other country imports	MT	346	617	405	312
Total Demand	MT	17,099	17,898	18,162	18,521
Trend	*Indexed*	*100*	*105*	*106*	*108*

35. It is seen that the demand for the subject goods increased throughout the injury period, including the POI. The demand for subject goods increased by 1,422 MT over the injury period, whereas the increase in imports for the same period, cumulatively for China PR and Malaysia is 1,779 MT. It is seen that the increase in imports is more than the increase in demand. The domestic sales of the applicants have declined over the injury period.

F.3.2 Volume effect of dumped imports on the domestic industry

a) Import Volumes and Share of Subject Country

36. The effects of the volume of dumped imports from the subject country as well as imports from other countries, have been examined by the Authority as follows.

Particulars	**Unit**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**POI**
Import Volume					
Subject Country - China	MT	164	6	23	9
Malaysia	MT	599	988	1,885	2,533
Other Countries	MT	347	459	617	405
Total Imports	MT	1,110	1,452	2,526	2,947
Subject imports in relation to					
Total imports	%	15%	0.42%	1%	0.31%
Indian production	%	0.88%	0.03%	0.13%	0.05%
Trend	*Indexed*	*100*	*3*	*15*	*6*
Indian demand	%	0.96%	0.03%	0.13%	0.05%
Trend	*Indexed*	*100*	*3*	*14*	*5*

37. It is seen that:

i With the imposition of anti-dumping duties, the subject imports in absolute terms have declined significantly over the injury period.

ii Imports in relation to production and consumption also followed the same trend and declined significantly with the imposition of the duty.

iii The decline in imports from China PR has led to an increase in imports from Malaysia. The applicant has submitted that the goods being exported through Malaysia are goods originating in China. Having *prima facie* satisfied, the Authority initiated an anticircumvention investigation on imports exported through Malaysia vide Notification 7/01/2023-DGTR dated 21st February 2023. Thereafter, the Authority vide final findings dated 07th June 2023 recommended for extension of the existing anti-dumping duties to imports of fishing net from Malaysia and determined that Chinese producers are circumventing the existing duties by exporting the subject goods through Malaysia.

38. It is noted that imports from China in the POI of the original investigation were 1,093 MT and negligible from Malaysia. The imports from Malaysia and China cumulatively in the present POI is 2,542 MT. The Authority noted that there is an increase in cumulative imports of 131% from the POI of the previous investigation to the current POI.

F.3.3. Price effect of dumped imports

39. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course.

40. Accordingly, the impact on the prices of the domestic industry on account of dumped imports of the subject goods from the subject country has been examined with reference to price undercutting and price suppression/depression, if any. For the purpose of this analysis the cost of sales and the net sales realization (NSR) of the domestic industry have been compared with the landed price of the subject imports from the subject country.

a) Price undercutting

41. In order to determine, whether the imports are undercutting the prices of the domestic industry in the market, price undercutting has been worked out by comparing the landed price of the subject imports with the selling price of the domestic industry during the injury period.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Landed price of imports	Rs./KG	231	212	265	265
Net sales realization	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./KG	***	***	***	***
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Price Undercutting	% Range	80-100	100 - 120	60-80	80- 100

42. It is seen that the volume of imports from China has declined. However, the landed price of imports, even for the volume reported in the POI, continues to be significantly below the selling price of the domestic industry. Imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry. The domestic industry contended that the decline in Chinese imports is because of an increase in Chinese imports from Malaysia without payment of anti-dumping duty. The landed price of imports from Malaysia is lower than the landed price from China after adding anti-dumping duty.

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 POI
Landed price of imports	Rs./KG	231	212	265	265
ADD on China	Rs./KG	155	153	165	165
China with ADD	Rs./KG	386	365	430	430
Malaysia	Rs./KG	359	387	395	400
Import volumes					
China	MT	163	6	23	9
Malaysia	MT	599	987	1,885	2,532

b) Price Suppression or Depression

43. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices or whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree and prevent price increases which otherwise would have occurred in a normal course, the Authority considered the changes in the costs and prices and landed value over the injury period. The position is shown in the table below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Cost of Sales (ex-factory)	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*101*	*116*
Selling Price	₹/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*105*	*107*	*116*
Landed value – China (without ADD)	₹/MT	2,31,114	2,11,749	2,65,012	2,64,885
Trend	*Indexed*	*100*	*92*	*115*	*115*
Landed value – Malaysia	₹/MT	3,59,039	3,87,220	3,95,322	4,00,897
Trend	*Indexed*	*100*	*108*	*110*	*112*

44. It is noted that both the cost of sales and selling price have increased over the injury period around the same levels. The landed value of imports from China PR has also increased over the injury period. However, these remained significantly below the level of cost of sales and selling price of the domestic industry. Further, the landed price of imports from Malaysia also did not increase in proportion to the increase in the cost of sales and is in fact below the costs and selling price of the domestic industry. Thus, the shifting of imports from China to Malaysia has caused price suppression in the domestic market. The level of pricing adopted by China during the

injury period indicates that cessation of duties on China is likely to lead significant price suppressing/depressing effect on the prices in the domestic market.

F.3.4. Economic parameters of the domestic industry

45. Annexure II to the Rules provides that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including an actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and the ability to raise capital investments. Accordingly, various injury parameters relating to the domestic industry are discussed herein below:

a) Capacity, Production, Capacity Utilization, and Sales

46. The Authority has considered capacity, production, capacity utilization and sales volume of the domestic industry over the injury period.:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Installed Capacity	MT	7,210	7,210	7,281	7,441
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*101*	*103*
Production	MT	5,336	5,097	4,765	5,201
Trend	*Indexed*	*100*	*96*	*89*	*97*
Capacity Utilization	%	74	71	65	70
Trend	*Indexed*	*100*	*96*	*88*	*94*
Domestic Sales	MT	3,911	3,247	3,146	3,510
Trend	*Indexed*	*100*	*83*	*80*	*90*

47. It is seen that:

a. Capacity remained constant till 2019-20 and increased thereafter.

b. Production, capacity utilization, and sales declined from the base year to 2020-21 and increased in the POI. However, production, sales, and capacity utilization still remained lower than that of the base year.

48. It has been contended by the domestic industry that the decline in production and sales over the injury period is on account of the presence of Chinese-origin goods through Malaysia. The determination of the Authority in the recently concluded anti-circumvention on the subject goods confirms that imports of the fishing net from Malaysia are in fact Chinese origin fishing nets which caused the decline in production and sales during the current injury period.

b) Market Share in Demand

49. The effects of the dumped imports on the market share in demand of the domestic industry have been examined as below:

Market Share in Demand	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Domestic industry	%	23%	19%	17%	19%
Trend	*Indexed*	*100*	*83*	*74*	*83*
Other producers	%	71%	73%	70%	65%
Trend	*Indexed*	*100*	*103*	*99*	*92*
Subject Country - China	%	1%	0.03%	0.13%	0.05%
Trend	*Indexed*	*100*	*3*	*13*	*5*
Malaysia	%	4%	6%	10%	14%
Trend	*Indexed*	*100*	*150*	*250*	*350*
Other Countries	%	2%	3%	2%	2%
Trend	*Indexed*	*100*	*150*	*100*	*100*
Total	%	100%	100%	100%	100%

50. The Authority notes that the market share of imports from China PR declined significantly over the injury period with the imposition of the duty. However, the market share of Malaysia has increased, which is the circumvented goods exported by producers in China as has been determined by the Authority in the recently concluded anti-circumvention investigation on the subject goods. It is also noted that the market share of both the domestic industry and the Indian industry as a whole declined over the injury period despite duties in view of the shifting of imports from China to Malaysia.

c) Profitability, Cash profits, and Return on Capital Employed

51. The profit, profitability, cash profits, profit before interest (PBIT), and return on investment of the domestic industry over the injury period have been analysed as follows:

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Cost of Sales	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*102*	*101*	*116*
Selling price	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*105*	*107*	*116*
Profit before Tax	Rs/MT	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*130*	*175*	*118*
Profit before Tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*107*	*138*	*134*
Cash Profit	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*104*	*128*	*134*
Profit before interest and tax	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*105*	*133*	*125*
Return on Capital Employed	%	***	***	***	***
Trend	*Indexed*	*100*	*100*	*140*	*61*

52. It is noted that with the imposition of anti-dumping duties, the domestic industry was able to earn profits, cash profits and return on capital employed. The profitability and ROI, however, declined and were still at low levels. Profitability, ROI, and cash profits, however declined significantly in the POI.

d) Inventory

53. The data relating to the inventory position of the domestic industry over the injury period and POI is given in the table below:

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
Inventory	MT	397	420	548	707
Trend	*Indexed*	*100*	*106*	*138*	*178*

54. The Authority notes that the level of inventories with the domestic industry has increased over the injury period.

e) Employment, Wages, and Productivity

55. The position with regard to employment, wages and productivity of the domestic industry is as follows:

Particulars	Units	2018-19	2019-20	2020-21	POI
No of employees	Nos.	2,836	2,628	2,991	3,247
Trend	*Indexed*	*100*	*93*	*105*	*114*
Salaries & Wages	₹ Lacs	2,710	2,741	2,654	2,999
Trend	*Indexed*	*100*	*101*	*98*	*111*
Productivity Per day	MT/Day	16	15	14	15
Trend	*Indexed*	*100*	*94*	*88*	*94*

56. The Authority notes that the employment and wages of the domestic industry increased over the injury period. Productivity per day has remained almost constant throughout the injury period.

f) Ability to raise capital investments

57. It is seen that the ROCE earned on investments made is low.

g) Magnitude of Dumping and Dumping Margin

58. It is seen that the dumping margin is more than *de minimis* and significant. Dumping has continued, even though volume has declined.

h) Growth

59. The information with respect to growth of the applicant companies is given below:

Particulars	Unit	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Production	%		-0.04	-0.07	0.09
Sales	%		-0.17	-0.03	0.12
Profit/loss	%		0.07	0.29	-0.03
Cash profit	%		0.04	0.22	0.05

60. It is seen that the volume parameters show some improvement. However, the price parameters have shown negative growth in the POI.

G. CAUSAL LINK & NON-ATTRIBUTION ANALYSIS

61. The Authority examined known factors other than the dumped imports and ascertained whether these are at the same time have been injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors, if any, is not attributed to the dumped imports. Factors which are relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry.

a) Volume and prices of imports from third countries

62. It is seen that imports from Malaysia are significant and at low prices, for which the Authority has initiated an anti-circumvention investigation and issued final findings on the same vide Notification No. 7/01/2023-DGTR, dated 07th June 2023 determining that the imports from Malaysia are Chinese origin fishing nets which are being exported to India to circumvent the existing anti-dumping duties. Imports from all other countries are either *de minimis* or at higher prices.

b) Contraction in Demand

63. It is seen that demand for the product under consideration has increased over the injury period.

c) Changes in the pattern of consumption

64. It is seen that there are no changes in the pattern of consumption for the product under consideration over the injury period.

d) Conditions of competition and trade restrictive practices

65. The Authority notes that the investigation has not shown any change in the conditions of competition or any trade restrictive practices.

e) Developments in Technology

66. It is seen that there are no significant changes in technology.

f) Export performance of the domestic industry

67. The Authority has considered data for the domestic operations only for injury analysis, therefore, export performance cannot be a cause of injury.

g) Performance of other products

68. The domestic industry has provided the injury data for the PUC, and the same has been adopted by the Authority for the purpose of injury analysis. The performance of other products produced and sold by the applicant companies has not been considered and thus performance of other products cannot be a possible cause of injury to the domestic industry, if any.

H. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

69. The Authority has determined the non-injurious price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The NIP of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry for the POI. The NIP has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the NIP, the best utilisation of the raw materials and utilities has been considered over the injury period. Best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. Extraordinary or non-recurring expenses have been excluded from the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e., average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the NIP as prescribed in Annexure III to the Rules.

70. Based on the landed price and the NIP determined as above, the injury margin as determined by the Authority is provided in the table below.

Sl.No.	Producers	Non-Injurious Price (US$/Kg)	Landed Price (US$/Kg)	Injury Margin (US$/Kg)	Injury Margin (%)	Injury Margin (Range %)
1	All producers/ exporters from China PR	***	3.51	***	***	55 - 65

I. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

I.1. Views of the other interested parties

71. No submission has been made by the exporters/other interested parties with regard to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

I.2. Views of the domestic industry

72. The following submissions were made by the domestic industry with regard to likelihood of continuation or recurrence of injury and dumping:

a. The imports from China PR declined post-imposition of duties; however, the dumping margin has remained positive with respect to the imports of Chinese-origin subject goods.

b. The Indian industry falls in the MSME category and there are more than 100 producers of the subject goods in India. Most of these producers are running small establishments which are vulnerable to injury.

c. Chinese producers have managed to maintain their presence in the Indian market by importing their products through Malaysia. The existing duties were made largely ineffective as a result of Chinese-origin subject goods coming through Malaysia. The *prima facie* acknowledgement of this fact by the Authority through the initiation of circumvention investigation against Malaysia itself underlines the likely behaviour of Chinese exporters upon cessation of duties.

d. Chinese producers have more than enough production capacities to cater to their domestic market.

e. Chinese producers increased their exports to third countries from 2016 to 2020 and several producers are strategically located close to ports facilitating in exporting of their products.

f. Chinese producers are highly export-oriented, exporting an average of more than 70% of their total production of products worldwide.

g. There are more than 200 producers of fishing net in China, and the available information about 3 companies alone show that there is more than 10,000MT of capacity.

h. The volume of dumped and injurious exports made by Chinese exporters to other countries is massive and is several times the existing demand in India. The percentage of this quantity to the dumped and injurious exports in relation to Indian demand is 300%, which is about 63% of the total exports made by China in 2022.

i. Despite the existing surplus production capacities and humungous exports, the Chinese producers are further focused on expanding their facilities with further investment and innovation.

j. Indian market is highly price attractive, and a significant volume of the subject goods exported from China to third countries is made at prices below the level at which goods are being exported to India. Expiry of duties would lead to the routing of these dumped exports into India.

k. The Indian market is price sensitive and vulnerable. Price is the major deciding factor for consumers to decide their purchases. Availability of low-priced imports in the market in the absence of anti-dumping duty will definitely cause an adverse impact on the prices of the product in the market.

I.3. Examination by the Authority

73. The present investigation is a sunset review of duties imposed on the imports of the subject goods from China PR. Under the Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to the continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The applicant provided evidence of likelihood of recurrence of dumping in its petition and supplemented the same during the course of the investigation and submitted that the same is likely to cause injury to the domestic industry. The submissions made and evidence on record have been examined by the Authority.

74. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury considering the requirement laid down under Section 9A(5), Rule 23, and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure-II (vii) of Rules, and other relevant factors brought on record. The present investigation being a sunset review of anti-dumping duty currently imposed, and under the Rules, the Authority is required to determine whether continued imposition of the anti-dumping duties is warranted in the event of cessation of anti-dumping duty.

75. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, *inter alia*, factors which are relevant for the threat of injury, and the same

factors may be used for likelihood analysis in a sunset review as well. Further, these are a non-exhaustive list of parameters relevant to the determination of likelihood:

i. A significant rate of increase of dumped imports into India indicates the likelihood of substantially increased importation.

ii. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, the capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.

iii. Whether importers are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices, and would likely increase the demand for further imports;

iv. Inventories of the article being investigated.

v. Total and surplus capacities of Products under Consideration in the subject countries during the proposed POI and 3 years prior thereto;

vi. Quantities and Prices of exports by producers/exporters in the subject countries to countries other than India. ln case individual data for producers/exporters especially for whom individual assessment has been done is not available, aggregated information for the subject country may be provided;

vii. Export orientation of producers/exporters in subject countries. In case data for producers/exporters for which individual assessment has been done is not available, aggregated information for the subject country may be given;

viii. Justification as to why the Indian market would be chosen as a destination for exports notwithstanding (a) to (c) above, after withdrawal of anti-dumping duties. The attractiveness of the Indian market to be justified;

76. The Authority has examined various indicators relevant to the assessment of the likelihood of injury to the domestic industry, having regard to the above-listed parameters. Further, the Authority has also examined other relevant factors which could have a bearing on the likelihood of the continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

i. Continued dumping of Chinese origin the subject goods through Malaysia

77. In order to examine the dumping of Chinese-origin subject goods which could indicate the likelihood of further increase, the Authority has examined the trend of volume of imports over the injury period from China PR and Malaysia to India. The Authority notes that imports declined from China after the imposition of duties on China. At the same time, the import volumes from Malaysia increased significantly at dumped prices. Authority has *prima facie* considered that China is allegedly circumventing the existing duties by exporting the subject goods through Malaysia and initiated anti-circumvention investigation vide F. No. 7/01/2023-DGTR dated 21st February 2023. Further, vide the Authority's final findings dated 07th June 2023 in the parallel anti-circumvention investigation, it was determined that Chinese producers have been circumventing the existing anti-dumping duties by importing the subject goods through Malaysia.

78. The Authority noted that cumulative imports from Malaysia and China is currently higher than the level of imports from these countries during the POI of the original investigation. The persistence of Chinese producers to target the Indian market for dumping the subject goods underlines the importance of the Indian market for Chinese exporters. Therefore, the Authority considers Malaysian imports as Chinese-origin imports and notes that there is continued dumping of Chinese-origin subject goods into India over the injury period.

ii. Huge number of producers and production capacities in China

79. It is noted from the information placed on record that there is a large number of producers of fishing net in China. It has been claimed that there are huge production capacities with multiple production lines available with these producers, which is more than enough to cater to their domestic market. The known production capacities of only 3 Chinese producers alone amount to 10,000 MT. Considering the large number of producers in China, it is considered that the producers would have huge capacities to take away the entire Indian demand.

Sl.No.	Name of Producers	Production capacity (Tonnes/annum)
1	Xinghai Fishing Tackle Co. Ltd	
	i) Monofilament Fishing Net	500
	ii) Multifilament Fishing Net	250
2	Tianjie Fishing Tackle Co. Ltd	
	i) Monofilament Fishing Net	800

	ii) Multifilament Fishing Net	1000
3	Zhejiang Hailum Rope & Net Co. Ltd.	8000

Source: Uniway Sourcing[1]

iii. Increase in Chinese exports to third countries and high export orientation

80. In order to examine the high export orientation of Chinese exporters, the Authority considered the volume of exports to third countries from China based on the HS code in which the subject goods fall. It is noted that there has been an increase in export volume from China to third countries from 2016 to 2022. The volume of exports made by China is more than 4 times of the Indian demand.

Particular	UoM	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Exports	Tons	71,516	77,044	76,448	85,148	87,524	97,271	90,338

Source: Trade Map

81. It is further seen that the producers in China are exporting the majority of their production to third countries based on the available information submitted by the domestic industry.

SN	Name of Producer/ Exporter	Export Orientation (% of total production)	Major export markets
1	Wenzhou Xinghai Fishing Tackle Co. Ltd.	70%	
2	Ravee International	50%	USA, Australia, UK, Canada, Japan, Africa, Brazil, Spain, Germany, Chile
3	Tianjie Fishing Tackle Co. Ltd.	90%	Brazil, Denmark, Russia, the USA, Europe, Africa, Australia

Source: Uniway Sourcing[2]

iv. Expansion of capacities by the producers in China

82. The domestic industry has provided evidence that some producers in China are focused on expanding their facilities by making further investments and innovating their facilities to enlarge their production capacity. It is noted from the evidence placed on record that companies such as Rich Fishing/ Richan Marine and Happy Sea (Suzhou) are seen expanding their production and exports of Fishing Net. This will add to the existing high capacity in China.

v. The volume of dumped Chinese imports into third countries

83. The Authority has considered the exports from China to third countries and determined the dumping margin for the period 2021 and 2022. It is noted that Chinese producers are exporting huge volumes of the subject goods to third countries at dumped prices which is several times the existing demand in India. The percentage of the volume of dumped imports from China to a third country in relation to Indian demand is 531% in 2021 and 423% in 2022.

Sl. No.	Calendar Year	Country	UoM	Dumped exports to the third country	Total exports to the third country	% of dumped exports	Dumped exports in relation to Indian demand	Indian Demand (Financial Year)
1	2021	China	MT	96,427	97,271	99%	531%	18,162
2	2022	China	MT	78,309	90,338	87%	423%	18,521

Source: Trade map (Jan-Dec period)

vi. Price attractiveness of the Indian market

84. The Authority has considered the imports into third countries from China, which were made at prices below the price at which goods have been exported to India. It is seen that 343% and 358% of the exports to third countries from China are at prices below the export price to India in the year 2021 and in 2022 respectively.

Sl. No.	Calendar Year	Country	UoM	Exports at prices below the prices to India	Total exports to the third country	Price attractive volume in relation to Indian demand	Indian Demand (Financial Year)
1	2021	China	MT	62,249	97,271	343%	18,162
2	2022	China	MT	66,333	90,338	358%	18,521

Source: Trade map

1 Source: https://uniway-sourcing.com/china/fishing-net-manufacturers-china/

2 ibid

vii. Injurious exports to third countries

85. The Authority has considered the information with respect to the third country's injurious exports from China. It is seen that a significant volume of exports from China to third countries are made at prices below the non-injurious price determined. The injurious exports made by China with respect to the total exports are 77% in 2021 and 63% in 2022.

Sl. No.	Calendar Year	Country	UoM	Injured exports to third country	Total exports to third country	% of injurious exports	Injurious exports in relation to Indian demand	Indian Demand (Financial Year)
1	2021	China	MT	75,146	97,271	77%	414%	18,162
2	2022	China	MT	57,132	90,338	63%	308%	18,521

I.4. Conclusion on likelihood of dumping and injury

86. The examination of the parameters pertaining to the likelihood of dumping and injury shows that the imports from the subject country are priced significantly below the cost and selling price of the domestic industry. Even with the existing anti-dumping duties in place, the Chinese-origin imports have caused significant suppression/depression effects on the prices of the domestic industry. It is further noted that the producers in China are highly export-oriented and have significant capacities. It is noted that the Chinese exporters are exporting a major proportion of the subject goods to third countries at dumped and injurious prices. Further, the fact that the producers from China PR are exporting goods at dumped prices to third countries and at the same time circumventing the existing duties by exporting the subject goods through Malaysia shows that the Indian market is price sensitive and cessation of duties is likely to intensify dumped and injurious exports into the Indian market consequently leading to injury to the domestic industry. Therefore, the Authority concludes that there is a likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duties.

J. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

J.1. Views of the other interested parties

87. No submission has been made by the exporters/other interested parties with regard to Indian industry's interest and other issues.

J.2. Views of the domestic industry

88. The following submissions were made by the domestic industry with regard to Indian industry's interest and other issues:

i. Indian industry is extremely fragmented, unorganized, and falls in the MSME category providing large-scale employment both directly and indirectly.

ii. Most of the fishing net producers are owner-driven companies lacking in technical expertise and infrastructure with a limited number of employees handling multiple jobs.

iii. The fishing net producers are generally small and on average each company contributes 0.5 to 1% to the total Indian production. The persistent presence of dumped imports even with the existence of anti-dumping duties has caused a decline in their operations and the domestic industry has been underutilizing its capacities.

iv. Profits are essential and critical for an MSME company to keep its facilities up and running. The existing anti-dumping duties helped the Indian industry to survive but the continued presence of Chinese-origin dumped imports from Malaysia is affecting their profitability and other price parameters. Non-extension of duties would lead to resumption of dumping from China which would lead to shut down of these companies.

v. Fishing net manufacturers are concentrated around the coastal areas providing collective livelihood to around 40,000 people and feeding 40,000 families which belong to the fishermen community who depend on the coast and sea for their livelihood. It is pertinent to support the people in the backward community to elevate their living standards.

vi. The workforce of the Indian industry majorly consists of women who account for about 60% of the total workforce. These factories provide a space for women employed to be empowered and self-reliant.

vii. Fishing net manufactured by the Indian industry requires further modifications which are done by the fishermen folk before it can be used for fishing. There is considerable labour involved in making the cast nets made from the PUC after tying, knotting, adding weights at the edges of the nets, attaching ropes etc.

viii. The settlements of the fishermen community support several small businesses which provide necessary materials for their daily needs. These businesses help the community sustain their main occupation, i.e., fishing. There are no other established industries around the area which could provide alternative employment and these people belonging to the fishermen community and they are dependent on the employment generated by the fishing net industry.

ix. Extension of anti-dumping duties shall arrest decline in the performance of the industry especially in the price parameters and would enable domestic producers to remain viable and competitive.

x. A competitive domestic industry capable of supplying the product to the consumers in competition to the fair priced imports is in the interest of the consumers. These MSME companies would be wiped out if the existing duties are allowed to cease. The prices in the market will remain fair and competitive only in the presence of domestic production.

xi. There is no impact of duties on the user industry. The domestic industry does not have any dedicated supply routes and rely on the traders to supply their goods. The traders procure the low-priced imported fishing net and sell it at market prices comparable to that of the price that the domestic industry is offering. The traders, however, have been earning unreasonably high profits even when duties are being absorbed.

xii. Anti-dumping duty is not a protection to the Indian industry but a means of price correction with the objective of creating a level playing field by removing any trade distortion by the producers in the subject country.

xiii. Fishing net establishments can be set up with minimal investments, i.e., 2 – 3 machines each costing around 1 – 1.25 crores (as of today). Each machine requires 10 people to run and maintain and company with 3 machines can provide employment to 30 people in the community.

xiv. Huge quantity of micro denier fishnets originating in China and exported through both China and Malaysia are single-use plastics which gets damaged after its first usage in fishing itself and is polluting both sea and freshwater ecosystems. These plastic fibres and particles were found in the guts of fishes in Alaknanda River by researchers which was found to be micro plastics.

xv. Indian Fishnet manufacturers have been producing Nylon-6 Fishnets/Fishnet yarn with size of 210 Denier and above (0.16mm) which is the international standard for fishnet for the last three to four decades. This specification is also followed by countries like USA, UK, EU and African countries. However, the product exported from China and Malaysia are sub-standard fishnets which has lower breaking strength which breaks in its first usage itself.

xvi. Micro denier fishnets cannot be easily seen by fishes compared to the started fishing nets which results in catching large quantity of fish and temptation to make money in short time which results in overfishing. This leads to decline in fish stocks and impacts the livelihood of traditional fishermen.

J.3. Examination by the Authority

89. The Authority issued a gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with respect to the present investigation, including the possible effects of the anti-dumping duties on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, the interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, the ability of the consumers to switch sources, the effect of anti-dumping duties on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the anti-dumping duties. However, it is noted that none of the interested parties other than the domestic industry has submitted any comments or submissions with respect to the same.

90. The Indian producers of the subject goods belong to the MSME category which is fragmented and unorganized. It is essential that the MSME industries maintain a certain level of profitability to keep their infrastructure functional. The extension of duties would help in improving their performance, especially in terms of price parameters. The duties would also help in maintaining a competitive domestic industry supplying the product to the customers in the presence of fair-priced imports.

91. A fishing net manufacturing unit can be set up with minimal investment and employment and this helps in promoting the small business sector in India. The large number of Indian manufacturers collectively supports around 40,000 employees and in turn their families across the country. The major workforce in the industry being women which is about 60% of the total workforce. The fishing net establishments provide a good platform

for their empowerment and financial independence. Several small businesses like restaurants, grocery, and textile shops etc., are also reliant on the fishing net community who are dependent on the fishing net manufacturers.

92. Fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, the imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain the availability of wider choice to the consumers of the subject goods. To ensure the continued availability of a competitive domestic product, it is necessary that the domestic industry also remain viable at fair prices failing which the users would become increasingly dependent on the dumped imports.

K. POST-DISCLOSURE COMMENTS

K.1. Views of the other interested parties

93. No submission has been made by the exporters/other interested parties post-issuance of the disclosure statement.

K.2. Views of the domestic industry

94. The following submissions were made by the domestic industry post issuance of the disclosure statement:

i. Huge quantity of micro denier fishnets originating in China and exported through both China and Malaysia into India are single used plastics which gets damaged after its first usage in fishing itself and is polluting both sea and freshwater ecosystems. These plastic fibres and particles were found in the guts of fishes in Alaknanda river by researchers which was found to be micro plastics.

ii. Indian Fishnet manufacturers have been producing Nylon-6 Fishnets/Fishnet yarn with size of 210 Denier and above (0.16mm) which is the international standard for fishnet for the last three to four decades. This specification is also followed by countries like USA, UK, EU and African countries. However, the product exported from China and Malaysia are sub-standard fishnets which has lower breaking strength which breaks in its first usage itself.

iii. Micro denier fishnets cannot be easily seen by fishes compared to the started fishing nets which results in catching large quantity of fish and temptation to make money in short time which results in overfishing. This leads to decline in fish stocks and impacts the livelihood of traditional fishermen.

iv. The conclusion drawn from the disclosure statement of the parallel anti-circumvention investigation shows circumvention of duties by the Chinese producers. Currently the landed price of direct Chinese imports of fishing net with addition of existing duties is higher than the circumvented fishing net from Malaysia. Cessation of duties would make direct Chinese imports cheaper than imports from Malaysia.

K.3. Examination by the Authority

95. The Authority has examined the post disclosure submissions made by the domestic industry, and notes that the comments are reiterations which have already been examined suitably and addressed adequately in the relevant paras of the disclosure statement.

L. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

96. Having regard to the contentions raised, information provided, submissions made and the facts available before the Authority as recorded above and on the basis of the above analysis of the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry, the Authority concludes that:

i. The applicants constitute domestic industry under Rule 2(b) of the Rules and the application satisfies the requirements under the Rules.

ii. There is continued dumping of the subject goods both directly from the subject country and indirectly through Malaysia despite the anti-dumping duties in force. The dumping and injury margins are positive.

iii. The volume of direct dumped imports from China PR declined post imposition of anti-dumping duties; however, the volume of Chinese-origin imports from Malaysia has increased substantially over the injury period.

iv. The imports are undercutting the prices of the domestic industry. The existence of Chinese-origin imports from Malaysia has considerable suppressing/depressing impact on the prices.

v. Capacity utilization, domestic sales and market share of the domestic industry and Indian industry as a whole declined.

vi. The price parameters of the domestic industry have not improved despite the existence of anti-dumping duties.

vii. The fact that Chinese-origin dumped imports continued through Malaysia after the imposition of duties shows a strong likelihood that if the duties were to be revoked the volume of subject imports will increase at a much higher rate and at much lower prices.

viii. It is seen that almost all exports from the subject country to third countries are at dumped and injurious prices.

ix. The exports from the subject country to third countries are priced materially below the export price to India indicating likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of duty. The Authority accordingly concludes that the Indian market offers lucrative prices to the producers from China.

x. In the absence of anti – dumping duties, adverse impact of the imports on the domestic industry prices would be significant.

xi. Profits are essential for an MSME industry and if the domestic industry is forced to sell at a price equivalent to the import price of the subject goods, without the anti-dumping duties, it will suffer financial losses, cash losses and a negative return on investment.

xii. There is healthy competition in the Indian market and continuation of the anti-dumping duties would not deprive the user industry of any of their requirements. The impact of anti-dumping duties on the eventual end consumers is insignificant and thus continued imposition of duties is in public interest.

97. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, exporters, importers, and other interested parties to provide information on the aspects of the likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury.

98. Having concluded that there is a likelihood of continuance/recurrence of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that continuation of duty is required on the imports of the PUC from the subject country, the Authority considers it appropriate to recommend continuation of the existing quantum of anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject country which would address and mitigate the likelihood of dumping and injury from the subject country. The Authority, thus, considers it necessary to recommend the continuation of existing definitive anti-dumping duty imposed vide Customs Notification No. 20/2018-Customs (ADD), dated 10th April 2018. The producers which participated in the original investigation but did not respond in this review investigation have been considered non-cooperative.

99. The Authority, thus, considers it appropriate and necessary to recommend the continuation of definitive antidumping duty equal to the amount indicated in Col. 7 of the duty table below for a period of five (5) years on all imports of the subject goods from the subject country. Therefore, considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, antidumping duty equal to the amount indicated in Col 7 of the duty table given below is recommended to be imposed from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government, on all imports of subject goods, from the subject country for a further period of five (5) years.

100. Further, having regard to the final findings notified by the Authority vide Notification No. 7/01/2023-DGTR, dated 07th June 2023 recommending extension of existing anti-dumping duty on imports of fishing net from China PR to imports of fishing net from Malaysia, the Authority considers that the anti-dumping duty is required to be extended for another period of five (5) years on imports of fishing net from Malaysia.

DUTY TABLE

Sl. No.	Heading/ Sub heading ***	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit of measurement	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5608 1110	Fishing Net	China PR	Any country including China PR	Any	**2.19**	Kg	US Dollar
2	5608 1110	Fishing Net	Any other than China PR	China PR	Any	**2.19**	Kg	US Dollar

***Note -

i. fishing nets are made up of nylon only – whether 100% or blended. In case of blended, scope includes fishing nets containing 50% or more nylon by weight.

ii. Product under consideration does not include HDPE fishing net.

iii. The product does not have dedicated customs classification. The product is being imported under HS code, 560811 10. However, customs classification is indicative only and in no way, it is binding upon the product scope.

101. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 3A, 8B, 9A of the said Act.

M. FURTHER PROCEDURE

102. An appeal against the determination/review of the Designated Authority in this final findings shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2021.06.09 22:55:34 +05'30'